

# वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

[लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में]



# वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

खंडों का क्रम

अध्याय 1  
प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2  
आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3  
प्रत्यक्ष कर  
आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 10 का संशोधन ।
5. धारा 11 का संशोधन ।
6. धारा 12क का संशोधन ।
7. धारा 12कख का संशोधन ।
8. नई धारा 12कग का अंतःस्थापन ।
9. धारा 13 का संशोधन ।
10. धारा 16 का संशोधन ।
11. धारा 28 का संशोधन ।
12. धारा 36 का संशोधन ।
13. धारा 37 का संशोधन ।
14. धारा 40 का संशोधन ।
15. धारा 43घ का संशोधन ।
16. धारा 44ख का संशोधन ।
17. नई धारा 44खखग का अंतःस्थापन ।
18. धारा 46क का संशोधन ।
19. धारा 47 का संशोधन ।
20. धारा 48 का संशोधन ।
21. धारा 50कक का संशोधन ।
22. धारा 55 का संशोधन ।
23. धारा 56 का संशोधन ।
24. धारा 57 का संशोधन ।
25. धारा 80गगघ का संशोधन ।
26. धारा 80छ का संशोधन ।

**खंड**

27. धारा 92गक का संशोधन ।
28. धारा 94ख का संशोधन ।
29. धारा 111क का संशोधन ।
30. धारा 112 का संशोधन ।
31. धारा 112क का संशोधन ।
32. धारा 113 का संशोधन ।
33. धारा 115कख का संशोधन ।
34. धारा 115कग का संशोधन ।
35. धारा 115कगक का संशोधन ।
36. धारा 115कघ का संशोधन ।
37. धारा 115खकग का संशोधन ।
38. धारा 115ड का संशोधन ।
39. धारा 115थक का संशोधन ।
40. धारा 132ख का संशोधन ।
41. धारा 139 का संशोधन ।
42. धारा 139कक का संशोधन ।
43. धारा 144ग का संशोधन ।
44. धारा 148 और धारा 148क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।
45. धारा 149 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
46. धारा 151 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
47. धारा 152 का संशोधन ।
48. धारा 153 का संशोधन ।
49. अध्याय 14ख के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन ।
50. धारा 192 का संशोधन ।
51. धारा 193 का संशोधन ।
52. धारा 194 का संशोधन ।
53. धारा 194ग का संशोधन ।
54. धारा 194घक का संशोधन ।
55. धारा 194च का लोप ।
56. धारा 194छ का संशोधन ।
57. धारा 194ज का संशोधन ।
58. धारा 194झक का संशोधन ।
59. धारा 194झख का संशोधन ।
60. धारा 194ड का संशोधन ।
61. धारा 194ण का संशोधन ।
62. नई धारा 194न का अंतःस्थापन ।
63. धारा 196ख का संशोधन ।
64. धारा 196ग का संशोधन ।
65. धारा 197 का संशोधन ।
66. धारा 198 का संशोधन ।

**खंड**

67. धारा 200 का संशोधन ।
68. धारा 200क का संशोधन ।
69. धारा 201 का संशोधन ।
70. धारा 206ग का संशोधन ।
71. धारा 230 का संशोधन ।
72. धारा 244क का संशोधन ।
73. धारा 245 का संशोधन ।
74. धारा 245थ का संशोधन ।
75. धारा 245द का संशोधन ।
76. धारा 246क का संशोधन ।
77. धारा 251 का संशोधन ।
78. धारा 253 का संशोधन ।
79. धारा 271चकक का संशोधन ।
80. नई धारा 271छग का अंतःस्थापन ।
81. धारा 271ज का संशोधन ।
82. धारा 273ख का संशोधन ।
83. धारा 275 का संशोधन ।
84. धारा 276ख का संशोधन ।
85. धारा 276गगग का संशोधन ।
86. धारा 285 का संशोधन ।
87. प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

**अध्याय 4****प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024**

88. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
89. परिभाषाएं ।
90. घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम ।
91. घोषणा फाइल करना और विशिष्टियों का दिया जाना ।
92. संदाय का समय और रीति ।
93. कतिपय मामलों में अपराध संबंधी कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति ।
94. संदत रकम का कोई प्रतिदाय न होना ।
95. घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति न देना ।
96. कतिपय मामलों में स्कीम का लागू न होना ।
97. बोर्ड की निदेश, आदि जारी करने की शक्ति ।
98. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
99. नियम बनाने की शक्ति ।

**अध्याय 5****अप्रत्यक्ष कर****सीमाशुल्क**

100. धारा 28घक का संशोधन ।

**खंड**

101. धारा 65 का संशोधन ।
102. धारा 143कक का संशोधन ।
103. धारा 157 का संशोधन ।
104. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव ।
105. वित्त अधिनियम की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन ।

**सीमाशुल्क टैरिफ**

106. धारा 6 का लोप ।
107. पहली अनुसूची का संशोधन ।

**केंद्रीय उत्पाद-शुल्क**

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।
109. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

**केंद्रीय माल और सेवा कर**

110. धारा 9 का संशोधन ।
111. धारा 10 का संशोधन ।
112. धारा 11क का अंतःस्थापन ।
113. धारा 13 का संशोधन ।
114. धारा 16 का संशोधन ।
115. धारा 17 का संशोधन ।
116. धारा 21 का संशोधन ।
117. धारा 30 का संशोधन ।
118. धारा 31 का संशोधन ।
119. धारा 35 का संशोधन ।
120. धारा 39 का संशोधन ।
121. धारा 49 का संशोधन ।
122. धारा 50 का संशोधन ।
123. धारा 51 का संशोधन ।
124. धारा 54 का संशोधन ।
125. धारा 61 का संशोधन ।
126. धारा 62 का संशोधन ।
127. धारा 63 का संशोधन ।
128. धारा 64 का संशोधन ।
129. धारा 65 का संशोधन ।
130. धारा 66 का संशोधन ।
131. धारा 70 का संशोधन ।
132. धारा 73 का संशोधन ।
133. धारा 74 का संशोधन ।

**खंड**

134. धारा 74क का अंतःस्थापन ।  
 135. धारा 75 का संशोधन ।  
 136. धारा 104 का संशोधन ।  
 137. धारा 107 का संशोधन ।  
 138. धारा 109 का संशोधन ।  
 139. धारा 112 का संशोधन ।  
 140. धारा 122 का संशोधन ।  
 141. धारा 127 का संशोधन ।  
 142. धारा 128क का अंतःस्थापन ।  
 143. धारा 140 का संशोधन ।  
 144. धारा 171 का संशोधन ।  
 145. अनुसूची 3 का संशोधन ।  
 146. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना ।

**एकीकृत माल और सेवा कर**

147. धारा 5 का संशोधन ।  
 148. नई धारा 6क का अंतःस्थापन ।  
 149. धारा 16 का संशोधन ।  
 150. धारा 20 का संशोधन ।

**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर**

151. धारा 7 का संशोधन ।  
 152. धारा 8क का अंतःस्थापन ।

**माल और सेवा कर  
(राज्यों को प्रतिकर)**

153. नई धारा 8क का अंतःस्थापन ।

**अध्याय 6****प्रकीर्ण****भाग 1****बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन**

154. 1988 का अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन ।

**भाग 2****वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन**

155. 2004 के अधिनियम संख्यांक 23 का संशोधन ।

**भाग 3****काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण  
अधिनियम, 2015 का संशोधन**

156. 2015 के अधिनियम सं. 22 का संशोधन ।

खंड

भाग 4

**वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन**

157. 2016 के अधिनियम संख्यांक 28 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवीं अनुसूची ।

छठवीं अनुसूची ।

(लोक सभा में 23 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित रूप में)

2024 का विधेयक संख्यांक 55

[दि फाइनेंस (नंबर 2) बिल, 2024 का हिंदी अनुवाद]

## वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए केन्द्रीय सरकार  
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 है ।
- (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,--

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ ।

(क) धारा 2 से धारा 87, 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ;

(ख) धारा 110 से धारा 153, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

## अध्याय 2

### आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, या उन दशाओं में, जहां आय, आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है और, जहां निर्धारित की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां,—

1961 का 34

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर, निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय थी ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी, और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय थी ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115खखज, धारा 115ड, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसे व्यक्तियों के संगम, जो केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बना है, के मामले के सिवाय, व्यष्टि-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,--

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के संगम, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम के, जो सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है और जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कोई आय नहीं है, की दशा में,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय [लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, लाभांश के रूप में कोई आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कर से प्रभार्य आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति, जो आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड

(4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट निधि है, की कुल आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर कोई अधिभार नहीं बढ़ाया जाएगा ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,--

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ड) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, सिवाय ऐसी देशी कंपनी की, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,--

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी,

जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ड) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में,--

(i) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसी आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए रुपए से अधिक, किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसी आय-कर के पन्द्रह

प्रतिशत की दर से ;

(iii) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय अपवर्जित है) दो करोड़ रुपए रुपए से अधिक है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसी आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु उपरोक्त खंड (iii) के अधीन नहीं आती है, इस उपधारा के अधीन इस प्रकार संगणित आय-कर को, ऐसी आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसी दशा में, जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के उपबंध लागू होते हैं तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के माध्यम से आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर परिकलित आय-कर को किसी अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा :

परन्तु यह भी कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है और जिसकी आय धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, आय-कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों के संगम, या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय है, और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय आय

की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि भारत में निवासी ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ड, धारा 194डड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ज, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी

आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी

आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ड) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी ;

(च) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है,

ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है और उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है,--

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,--

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के

पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115त्रख या धारा 115त्रग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी व्यक्ति या अविभक्त हिंदू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या भारत में निवासी किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, 115खखज, धारा 115ड, धारा 115त्रख या धारा 115त्रग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा

में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभाय है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि की दशा में या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है, जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभाय है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर

अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है,



से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, पहले परन्तुक के अनुसार संगणित “अग्रिम कर”, संघ के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), “ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर पर” ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), “ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर” ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा

111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर), “ऐसे अग्रिम कर के पच्चीस प्रतिशत की दर पर” ; और

(iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, किंतु ऊपर खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), “ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर” :

परंतु यह भी कि जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के लागू होने की दशा में तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन प्रभार्य लाभांश भी है, आय के उस भाग के संबंध में “अग्रिम कर” पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में तथा धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य आय पर, “अग्रिम कर” पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय निम्नलिखित से अधिक है,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि भारत में निवासी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकड के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के

स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट, किसी विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, जिसकी आय में आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर को अधिभार से नहीं बढ़ाया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा 'क' लागू होता है या जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,-

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि ऐसी दशा में, जहां आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की धारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रख दिए गए हों :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार इस धारा में उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई बात, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट निधि की, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट, किसी आय पर संगणित, उपधारा (9) में यथाविनिर्दिष्ट आय-कर, के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर

अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

### अध्याय 3

### प्रत्यक्ष कर

#### आय-कर

#### 3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,--

(क) खंड (22) में, 1 अक्टूबर, 2024 से--

(I) उपखंड (ड) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पहले निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(च) किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के उपबंधों के अनुसार किसी शेयरधारक से अपने ही शेयरों के क्रय पर किया गया कोई संदाय ;”;

(II) दीर्घ पंक्ति में, खंड (iv) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (42क) में, 23 जुलाई, 2024 से,--

(i) प्रारंभिक भाग में, “छत्तीस मास” शब्दों के स्थान पर, “चौबीस मास” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) पहले परंतुक में,--

(अ) “(किसी यूनिट से भिन्न)” कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) “छत्तीस मास” शब्दों के स्थान पर, “चौबीस मास” शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) दूसरे परंतुक में “रखे गए हों” शब्दों के पूर्व, “मानो यह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ से ठीक पूर्व रखे गए हों” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित

धारा 2 का संशोधन ।

किए गए समझे जाएंगे ;

(iv) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 10 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) 1 अप्रैल, 2025 से,--

(i) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, मद (I) को मद (I)(क) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपमद (क) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(ख) जिसे किसी खुदरा स्कीम या किसी विनिमय व्यापार निधि के रूप में प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित है और जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ;”;

2019 का 50

(ii) खंड (15क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(15ख) किसी विदेशी कंपनी की, ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी, जो भारत में पोत या जलयानों का प्रचालन करती है, कूज पोत के पट्टे, भाटकों, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, से प्राप्त कोई आय, जहां ऐसी विदेशी कंपनी और विनिर्दिष्ट कंपनी उसी नियंत्री कंपनी की सहायक कंपनियां हैं और ऐसी आय 1 अप्रैल, 2030 से ही शुरू होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भारत में प्राप्त या प्रोद्भूत या उद्भूत हुई है ।

**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “विनिर्दिष्ट कंपनी” से देशी कम्पनी के सिवाय ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो भारत में कूज पोत का परिचालन करती है और धारा 44खखग के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय करने का विकल्प चुनती है ;

(ख) “नियंत्री कंपनी” से विदेशी कम्पनी या विनिर्दिष्ट कम्पनी के संबंध में ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं ;

(ग) किसी अन्य कंपनी के संबंध में “सहायक कंपनी” या “सहायक” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें नियंत्री कंपनी या तो स्वयं या एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक के संबंध में कार्रवाई करती है या नियंत्रण रखती है ;”;

(ख) खंड (23ग) में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

(i) पहले परंतुक में, “प्रधान आयुक्त या आयुक्त को” शब्दों के पश्चात् “1 अक्टूबर, 2024 से पूर्व” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक में, “परंतुक के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति” शब्दों के स्थान पर, “परंतुक के अधीन 1 अक्टूबर, 2024 से पूर्व किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) तेईसवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन के संबंध में कोई अनुमोदन मंजूर नहीं किया जाएगा।”;

(ग) 1 अप्रैल, 2025 से,--

(i) खंड (23डड) के स्पष्टीकरण में,--

1956 का 42

(अ) खंड (i) में, “प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

2019 का 50

“या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 के विनियम (2) के उपविनियम (1) के खंड”;

1956 का 42

(आ) खंड (ii) में, “प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

2019 का 50

“या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021”;

(ii) खंड (23चख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (अ) की मद (II) में,--

2019 का 50

(अ) आरंभिक भाग में, “जोखिम पूंजी निधि विनियम के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के विनियम 18 के उपविनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपमद (ii) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(इ) उपमद (iii) में, “या” शब्द के स्थान पर, “और” शब्द रखा जाएगा ;

(ई) उपमद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(iv) कोई अन्य शर्त, जो विहित की जाए ; या”;

(घ) खंड (34) में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस खंड के उपबंध, किसी कंपनी द्वारा 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात्, शेयरों के क्रय द्वारा वापस लेने के संबंध में लागू नहीं होंगे।”;

(ङ) खंड (50) के आरंभिक भाग में, “उस तारीख को या” से आरंभ होने वाले और “से प्रभार्य कोई आय” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अगस्त, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“निम्नलिखित में से किसी से उद्भूत होने वाली,--

(i) उस तारीख को या उसके पश्चात् उपलब्ध कराई जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा, जिसको वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं ; या

(ii) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अगस्त, 2024 से पूर्व की गई ई-वाणिज्य आपूर्ति या की गई अथवा उपलब्ध कराई गई या सुकर बनाई गई सेवाएं,

और जो उस अध्याय के अधीन समकरण उद्ग्रहण से प्रभार्य कोई आय।”।

धारा 11 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (7) में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

(क) “उसके खंड (1), खंड (23ग) और खंड (46) से भिन्न” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “उसके खंड (1), खंड (23ग), खंड (23डक), खंड (23डग), खंड (23डघ), खंड (46), खंड (46क) और खंड (46ख) से भिन्न” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में,--

(i) “धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन किया जाता है या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “खंड (23डक), खंड (23डग), खंड (23डघ), खंड (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रवर्तित नहीं रहेगा” शब्दों के स्थान पर, “इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो या उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए धारा 10 के खंड (46ख) के अधीन छूट का दावा किया गया है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के 1 अप्रैल को प्रवर्तित नहीं रहेगा” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परंतुक में,--

(i) “खंड (46) के अधीन अधिसूचना” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “खंड (23डक) या खंड (46) के अधीन अधिसूचना” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “खंड (23डग) या” शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “खंड (23डघ) या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

धारा 12क का संशोधन ।

(क) उपखंड (ii) में,--

(i) “धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के अधीन अनुमोदित है” शब्द, अंक, कोष्ठक, और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “और, यथास्थिति, उक्त रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की अवधि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iii) में,--

(i) “अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है” शब्दों के पश्चात्, “या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के अधीन अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया है” शब्द, अंक, कोष्ठक, और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “, यथास्थिति, अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की अवधि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां कोई आवेदन उपखंड (i) से उपखंड (vi) में अनुज्ञात समय से परे फाइल किया जाता है, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि वह यह समझता है कि आवेदन फाइल करने में विलंब के लिए युक्तियुक्त कारण विद्यमान है, तो ऐसे विलंब को क्षमा कर सकेगा और ऐसा आवेदन समय के भीतर फाइल किया गया समझा जाएगा ।”।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अक्टूबर, 2024 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 12कख का संशोधन ।

“(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश,--

(i) उस मास के अंत से, जिसमें खंड (क) की दशा में आवेदन प्राप्त हुआ था, संगणित तीन मास की ;

(ii) उस तिमाही के अंत से, जिसमें खंड (ख) के उपखंड (ii) की दशा में आवेदन प्राप्त हुआ था, संगणित छह मास की ;

(iii) उस मास के अंत से, जिसमें खंड (ग) की दशा में आवेदन प्राप्त हुआ था, संगणित एक मास की,

अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया

जाएगा ।”।

नई धारा 12कग का अंतःस्थापन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

कतिपय मामलों में पूर्ण न्यासों या संस्थाओं का विलयन ।

“12कग. जहां किसी न्यास या संस्था का, जो यथास्थिति, धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदित है, उसका किसी अन्य न्यास या संस्था के साथ विलयन होता है, वहां अध्याय 12डख के उपबंध उस समय लागू नहीं होंगे, यदि--

(क) अन्य न्यास या संस्था के उद्देश्य समान या एक जैसे हैं ;

(ख) अन्य न्यास या संस्था, यथास्थिति, धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदित है ; और

(ग) उक्त विलयन ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाए ।”।

धारा 13 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के परंतुक में खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ik) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कोई आस्ति या उक्त उपखंड (i) और उपखंड (ik) में उल्लिखित समग्र का भाग बनने वाले शेरों की कोई अनुवृद्धि और उक्त परंतुक के खंड (ख) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट स्वैच्छिक अभिदाय ।”।

धारा 16 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 16 में खंड (ik) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उस दशा में जहां आय-कर की संगणना धारा 115खकग की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन की जाती है, इस खंड के उपबंधों का वही प्रभाव होगा, मानो यदि “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पचहतर हजार रुपए” शब्द रखे गए हों;”।

धारा 28 का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 28 में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 3—यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वामी द्वारा किसी आवासीय गृह के या गृह के किसी भाग के किराए से प्राप्त कोई आय, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य नहीं होगी, और “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होगी ।’।

धारा 36 का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ivक) में, “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “चौदह प्रतिशत” शब्द 1 अप्रैल, 2025 से, रखे जाएंगे ।

धारा 37 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में, खंड (iii) में, “के अधीन किसी अपराध का शमन ।” शब्दों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से,

निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“के अधीन किसी अपराध का शमन ; या

(iv) ऐसी विधि के अधीन, व्यतिक्रम के संबंध में, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त यथा अधिसूचित किया जाए, आरंभ की गई कार्यवाहियों का समाधान करना ।”।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (ख) के उपखंड (v) की मद (क) में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

धारा 40 का संशोधन ।

(क) “3,00,000 रुपए” अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “6,00,000 रुपए” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) “1,50,000 रुपए” अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “3,00,000 रुपए” अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

धारा 43घ का संशोधन ।

(i) पार्श्वशीर्ष में, “पब्लिक कंपनियों,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) दीर्घ पंक्ति में, “या पब्लिक कंपनी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iv) स्पष्टीकरण में, खंड (क) और खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44ख में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

धारा 44ख का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अनिवासी की दशा में क्रूज पोत परिवहन से भिन्न पोत परिवहन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।”;

(ख) उपधारा (1) में, “पोत के प्रचालन के कारबार” शब्दों के स्थान पर, “धारा 44खखग में निर्दिष्ट क्रूज पोत परिवहन से भिन्न कारबार” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 44खखग का अंतःस्थापन ।

‘44खखग. (1) धारा 28 से धारा 43क में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है, और जो क्रूज पोत के प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाए, ऐसे कारबार से, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

अनिवासी की दशा में क्रूज पोत के प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकमें निम्नलिखित होगी, अर्थात् :-

(क) निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को यात्रियों के वहन

की बाबत संदत या संदेय रकम ; और

(ख) निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से यात्रियों के वहन की बाबत प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम ।'।

धारा 46क का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 46क में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक, 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां शेयर धारक किसी कंपनी से, शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने के संबंध में, धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (च) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई प्रतिफल प्राप्त करता है, जो 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् प्राप्त होता है, तब इस धारा के प्रयोजनों के लिए शेयर धारक द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिफल की कीमत शून्य समझी जाएगी ।”।

धारा 47 का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, खंड (iii) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) किसी दान या विल या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन किसी व्यष्टिक या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण;”।

धारा 48 का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 48 के दूसरे परंतुक में, “डिबेंचरों के अंतरण से” शब्दों के स्थान पर, 23 जुलाई, 2024 से “डिबेंचरों के अंतरण (जो 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया जाता है) से” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 50कक का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 50कक में,--

(क) “अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा :” शब्दों से समाप्त होने वाले आरंभिक भाग के स्थान पर, 23 जुलाई, 2024 से निम्नलिखित आरंभिक भाग रखा जाएगा, अर्थात् :-

“धारा 2 के खंड (42क) या धारा 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी आस्ति--

(क) 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् अर्जित विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिट या बाजार सहबद्ध डिबेंचर है ; या

(ख) असूचीबद्ध बंधपत्र या असूचीबद्ध डिबेंचर है, जिसका अंतरण या मोचन या परिपक्वता 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होती है,

ऐसे डिबेंचर या यूनिट या बंधपत्र के अंतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को, जिसमें से,--

(i) डिबेंचर या यूनिट या बंधपत्र के अर्जन की लागत ; और

(ii) ऐसे अंतरण या मोचन या परिपक्वता के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से प्रोद्भूत व्यय,

को घटा दिया गया है, उसे अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा :”;

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (ii) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2026 से निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ii) विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि’ से,--

(क) किसी भी नाम से ज्ञात कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत है, जो इसके कुल आगमों के पैसठ प्रतिशत से अधिक का ऋण और धन बाजार विलेखों में विनिधान करती है ; या

(ख) कोई निधि, जो इसके कुल आगमों के पैसठ प्रतिशत या अधिक का, उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी निधि की यूनिटों में विनिधान करती है :

परंतु विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के संबंध में, यथास्थिति, ऋण और धन बाजार लिखतों या किसी निधि की यूनिटों में विनिधान की प्रतिशतता की संगणना दैनिक बंद होने वाली संख्या के वार्षिक औसत के संदर्भ में की जाएगी :

परंतु यह और कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “ऋण और धन बाजार लिखतों” के अंतर्गत, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किसी भी नाम से ज्ञात ऋण और धन बाजार लिखतों के रूप में वर्गीकृत या विनियमित कोई प्रतिभूतियां भी हैं ।’।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (कग) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (iii) में, मद (क) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी और इसे 1 अप्रैल, 2018 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 55 का संशोधन ।

“(कक) यथास्थिति, 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है या ऐसे शेयर के प्रतिफल के रूप में, ऐसे संव्यवहार के माध्यम से, जिसे धारा 47 के अधीन अंतरण के रूप में नहीं माना जाता है, किसी निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी, जो 31 जनवरी, 2018 को ऐसे एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, किन्तु ऐसे अंतरण (जहां ऐसा अंतरण आरंभिक लोक प्रस्ताव में सम्मिलित पब्लिक के लिए विक्रय के किसी प्रस्ताव के अधीन असूचीबद्ध साम्य शेयरों के विक्रय के संबंध में है) की तारीख के पश्चात् ऐसे एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो गया है;”।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 56 का संशोधन ।

“परंतु यह भी कि इस खंड के उपबंध, 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ;”।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 57 में,--

धारा 57 का संशोधन ।

(i) 1 अक्टूबर, 2024 से,--

(क) खंड (i) में, “लाभांशों या प्रतिभूतियों पर ब्याज की दशा में” शब्दों

के स्थान पर, “धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (च) में निर्दिष्ट से भिन्न लाभांशों या प्रतिभूतियों पर ब्याज की दशा में” शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (च) में निर्दिष्ट प्रकृति की लाभांश आय की दशा में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी।”;

(ii) खंड (iiक) में स्पष्टीकरण के पूर्व, 1 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘परंतु उस दशा में, जहां आय-कर की संगणना धारा 115खकग की उपधारा (1क) के खंड (ii) के अधीन की जाती है, इस खंड के उपबंधों का वही प्रभाव होगा, मानो “पंद्रह हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस हजार रुपए” शब्द रखे गए हों ;’।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2025 से, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘परंतु जहां निर्धारिती की कुल आय, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां उपधारा (2) के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानो खंड (ख) में विनिर्दिष्ट “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “चौदह प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ।’।

धारा 80छ का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में,--

(क) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iiiजछ) में, “स्थापित की जाने वाली राष्ट्रीय खेल-कूद निधि” शब्दों के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2025 से “स्थापित राष्ट्रीय खेल-कूद विकास निधि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

“(I) पहले परंतुक में,--

(i) खंड (iii) में, “आवेदन करेगी ;” शब्दों के स्थान पर, “आवेदन करेगी ; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (iv) में,--

(क) “किसी अन्य दशा में,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(आ) ऐसे क्रियाकलाप के आरंभ करने के पश्चात् किसी समय क्रियाकलाप आरंभ किया है .:”;

(II) दूसरे परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) में मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(आ) यदि उसका, इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और अपने अनुमोदन, यदि कोई हो, को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;”;

(III) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के खंड (i) और खंड (iii) के अधीन कोई आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, यथास्थिति, तीन मास या एक मास की अवधि, संगणित करते हुए, की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा :”;

(IV) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश, उस त्रैमास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा :”।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

धारा 92गक का संशोधन ।

(क) उपधारा (2क) में,--

(i) “कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार उपधारा (i) के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से भिन्न” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “मानो ऐसा अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है” शब्दों के स्थान पर, “मानो ऐसा अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2ख) में,--

(i) “जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार” शब्दों के पश्चात्, “या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) “मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है” शब्दों के स्थान पर, “मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किया गया कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार है” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 94ख का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 94ख में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

(क) उपधारा (3) में, “जो बैंककारी या बीमा के कारबार में” शब्दों के पश्चात्, “या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी वित्त कंपनी में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

(iv) “वित्त कंपनी” से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ड) में यथापरिभाषित कोई वित्त कंपनी अभिप्रेत है, और जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है और ऐसे क्रियाकलाप करती है, जो विहित किए जाएं ;

(v) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है ।’।

2019 का 50

2005 का 28

धारा 111क का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) में, 23 जुलाई, 2024 से,--

(क) पहले परंतुक से पूर्व आने वाली दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

“वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा,--

(i) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर संगणित आय-कर की रकम पर,--

(क) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 से पूर्व होता है, पंद्रह प्रतिशत की दर से ; और

(ख) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, बीस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय की शेष रकम पर संदेय आय-कर की रकम, मानो ऐसी बकाया रकम निर्धारिती की कुल आय थी :”;

(ख) पहले परंतुक में, “पंद्रह प्रतिशत की दर से” शब्दों के स्थान पर, “खंड (i) में यथा लागू दर से” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 112 का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) में, खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

“क) किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, जो निवासी है, की दशा में,—

(i) कुल आय पर संदेय आय कर की रकम, जैसी वह ऐसी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल

आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर परिकल्पित आय-कर की रकम,--

(अ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, बीस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ;

परन्तु जहां ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों को घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है वहां ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों में से ऐसी रकम घटा दी जाएगी जिससे इस प्रकार घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम पड़ जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के अतिशेष पर कर की संगणना उपखंड (ii) में यथा लागू दर से की जाएगी ;

(ख) किसी देशी कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर संगणित आय-कर की रकम :

(अ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, बीस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसी दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर परिकल्पित आय-कर की रकम,--

(अ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, बीस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी अंतरण [खंड (iii) में निर्दिष्ट अंतरण से भिन्न] के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से ;

(iii) ऐसी किसी पूंजी आस्ति के, जो असूचीबद्ध प्रतिभूतियां या किसी कंपनी, जो ऐसी कंपनी न हो, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध हो, के शेयर हैं, ऐसे अंतरण से, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुक को

प्रभावी किए बिना यथासंगणित ऐसी आस्ति की बाबत पूंजी अभिलाभों पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

(घ) किसी निवासी से संबंधित किसी अन्य दशा में,—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो और

(ii) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर परिकलित आय-कर की रकम :

(अ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, बीस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से :

परन्तु जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्र हैं, के अंतरण से, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर धारा 48 के दूसरे परंतुक के उपबंधों को प्रभावी करने के पूर्व पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है वहां ऐसे आधिक्य को निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा ।”।

धारा 112क का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 112क में, उपधारा (2) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

“(i) ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर, जो एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक हैं, परिकलित आय-कर की रकम पर :--

(क) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया जाता है, दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया जाता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से :

परंतु एक लाख पच्चीस हजार रुपए की सीमा, उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के कुल योग पर लागू होगी ;”।

धारा 113 का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 113 में,—

(क) 1 सितंबर, 2024 से, “अप्रकटित” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) परंतुक में, “जो उस पूर्ववर्ष” से आरंभ होने वाले और “अपेक्षा की जाती है” पर समाप्त होने वाले शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115कख की उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 115कख  
का संशोधन ।

“(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है,--

(अ) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है, दस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 को या इसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित आय-कर की रकम : और”।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग की उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 115कग  
का संशोधन ।

“(ii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है,--

(अ) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है, दस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या इसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित आय-कर की रकम : और”।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक की उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति में खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 115कगक  
का संशोधन ।

“(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है,--

(अ) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 से पूर्व होता है हो, दस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या इसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित आय-कर की रकम : और”।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) में, 23 जुलाई, 2024 से,--

धारा 115कघ  
का संशोधन ।

(क) दीर्घ पंक्ति में, खंड (ii) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के माध्यम

से हुई आय-कर परिकलित आय-कर की रकम,--

(अ) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है, पंद्रह प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, बीस प्रतिशत की दर से ;;

(ख) खंड (iii) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु धारा 112क में निर्दिष्ट किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली आय की दशा में, जो एक लाख पच्चीस हजार रुपए से अधिक है, आय-कर की संगणना निम्नलिखित दर से की जाएगी,--

(अ) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है, दस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी ऐसे अंतरण के लिए जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में उल्लिखित एक लाख पच्चीस हजार रुपए की सीमा, खंड (अ) और खंड (आ) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के कुल योग को लागू होगी ; और”।

धारा 115खकग  
का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग में, उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2025 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति से भिन्न, जो उपधारा (6) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम (किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति की,--

(i) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	3,00,001 रुपए से 6,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	6,00,001 रुपए से 9,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत

4.	900,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2025 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम सं.	कुल आय	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	3,00,001 रुपए से 7,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	7,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
4.	10,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत ।”।

**38.** आय-कर अधिनियम की धारा 115ड में, दीर्घ पंक्ति में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और इसे 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 115ड का संशोधन ।

“(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है,--

(अ) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है, दस प्रतिशत की दर से ; और

(आ) किसी ऐसे अंतरण के लिए, जो 23 जुलाई, 2024 को या इसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित आय-कर की रकम : और”।

**39.** आय-कर अधिनियम की धारा 115थक की उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक, 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 115थक का संशोधन ।

“परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध ऐसे शेरों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् क्रय द्वारा वापस लिए गए हैं ।”।

**40.** आय-कर अधिनियम की धारा 132ख की उपधारा (1) के खंड (i) में, “ब्याज-कर अधिनियम, 1974”, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ब्याज-कर अधिनियम, 1974 और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम,

धारा 132ख का संशोधन ।

2015" शब्द, कोष्ठक और अंक 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 139 का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, उपधारा (9) और उसके स्पष्टीकरण के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(9क) जहां आय की कोई विवरणी धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत की जाती है वहां इस धारा के उपबंध लागू होंगे।”।

धारा 139कक का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 139कक में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि पहले परंतुक की कोई बात 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् स्थायी लेखा संख्या के आबंटन हेतु किसी आवेदन प्ररूप या प्रस्तुत आय की विवरणी के संबंध में लागू नहीं होगी।”;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 अक्टूबर, 2024 से पूर्व फाइल किए गए आधार के आवेदन प्ररूप की नामांकन पहचान संख्या के आधार पर स्थायी लेखा संख्या का आबंटन किया गया है, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उससे पहले अपनी आधार संख्या ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, सूचित करेगा।”।

धारा 144ग का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में, 1 सितंबर, 2024 से,--

(i) उपधारा (15) के उपखंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘परंतु ऐसे पात्र निर्धारिती में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जो धारा 158खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या धारा 158खघ में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति है।’;

(ii) उपधारा (15) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(16) इस धारा के उपबंध, अध्याय 14ख के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे।”।

धारा 148 और धारा 148क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 148 और धारा 148क के स्थान पर, 1 सितंबर, 2024 से निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

‘148. (1) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी धारा 148क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 148क की उपधारा (3) के अधीन उससे ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, जो उस मास के, जिसमें ऐसी सूचना जारी की गई है, के अंत से तीन मास से अनधिक की अवधि होगी, पारित आदेश की प्रति के साथ एक सूचना निर्धारिती को जारी करेगा, यदि अपेक्षित हो, निर्धारिती पर तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह अपनी आय की विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, जिसके संबंध में वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, प्रस्तुत करे :

सूचना जारी करना, जहां आय निर्धारण से छूट गई है।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना न हो, जिससे यह प्रतीत होता हो कि किसी निर्धारिती की दशा में कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए छूट गई है :

परन्तु यह और कि जहां निर्धारण अधिकारी को धारा 135क के अधीन जानकारी प्राप्त हुई है, इस धारा के अधीन कोई सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना जारी नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित आय की विवरणी ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा तथा उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों को उल्लिखित किया जाएगा, जो विहित की जाएं तथा इस अधिनियम के उपबंध, यथाशक्य, तदनुसार ऐसे लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी :

परन्तु उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित उक्त उपधारा के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् प्रस्तुत विवरणी को, धारा 139 के अधीन विवरणी नहीं समझा जाएगा।

(3) इस धारा और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) समय-समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में कोई सूचना ; या

(ii) इस प्रभाव का कोई लेखापरीक्षा आक्षेप कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(iii) अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त कोई सूचना ; या

(iv) धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई सूचना ; या

(v) कोई सूचना, जिसमें किसी अधिकरण या किसी न्यायालय के आदेश

के परिणामस्वरूप किसी कार्रवाई की अपेक्षा करती है ; या

(vi) निर्धारिती की दशा में, ऐसी कोई सूचना, जो 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात् धारा 133क के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (2क) के अधीन से भिन्न, संचालित किसी सर्वेक्षण से उद्भूत हुई है ।

धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व प्रक्रिया ।

148क. (1) जहां निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी जानकारी है, जिससे यह प्रतीत हो कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई है, तो वह धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व ऐसे निर्धारिती को इस प्रभाव की कारण बताओ सूचना तामील करके कि धारा 148 के अधीन जानकारी के आधार पर सूचना क्यों न जारी की जाए, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सूचना के साथ ऐसी जानकारी होगी, जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसके मामले में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस की प्राप्ति पर, निर्धारिती ऐसी अवधि के भीतर, जिसे ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) निर्धारण अधिकारी, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और निर्धारिती द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, को विचार में लेने के पश्चात्, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ यह अवधारित करते हुए कि क्या धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह एक उचित मामला है अथवा नहीं, कोई आदेश पारित करेगा ।

(4) इस धारा के उपबंध किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट जाने वाली आय से प्रभार्य ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारण अधिकारी ने धारा 135क के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन जानकारी प्राप्त की है ।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा और धारा 148 के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ।”।

धारा 149 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

**45.** आय-कर अधिनियम की धारा 149 के स्थान पर, 1 सितंबर, 2024 से निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 148 और धारा 148क के अधीन सूचनाओं की समय-सीमा ।

“149. (1) धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस समय जारी नहीं की जाएगी,—

(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष और तीन मास व्यपगत हो चुके हैं, जब तक कि वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता हो ;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष और तीन मास से अधिक, किंतु पांच वर्ष और तीन मास से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, जब तक निर्धारण अधिकारी अपने कब्जे में लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या किसी आस्ति या व्यय या संव्यवहार या प्रविष्टि से संबंधित कोई ऐसा

साक्ष्य नहीं रखता है, जो यह दर्शित करता है कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रुपए या अधिक की रकम की नहीं है या उसके पचास लाख रुपए या उससे अधिक होने की संभावना नहीं है ।

(2) धारा 148क के अधीन कोई सूचना कारण बताने के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस समय जारी नहीं की जाएगी,—

(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, जब तक कि वह मामला खंड (ख) के अधीन नहीं आता हो ;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष, किंतु पांच वर्ष से अनधिक वर्ष, व्यपगत हो चुके हैं, जब तक कि निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर से प्रभार्य ऐसी आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रुपए या अधिक की रकम की नहीं है या उसके पचास लाख रुपए या उससे अधिक होने की संभावना नहीं है ।”।

**46.** आय-कर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, 1 सितंबर, 2024 से निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 151 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

“151. धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक होगा ।”।

सूचना जारी की जाने के लिए मंजूरी ।

**47.** आय-कर अधिनियम की धारा 152 में, उपधारा (2) के पश्चात्, 1 सितंबर, 2024 से निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

धारा 152 का संशोधन ।

“(3) जहां 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 सितंबर, 2024 से पूर्व, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क [उपधारा (2क) के अधीन के सिवाय] के अधीन कोई सर्वेक्षण किया गया है, वहां धारा 147 से धारा 151 के उपबंध उस प्रकार लागू होंगे जैसे वे वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ से ठीक पूर्व यथा विद्यमान थे ।

(4) जहां धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी की गई है या 1 सितंबर, 2024 से पूर्व धारा 148क के खंड (घ) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, वहां ऐसे मामलों में निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना धारा 147 से धारा 151 के उपबंधों के अनुसार शासित होगी जैसे वे वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 के प्रारंभ से ठीक पूर्व यथा विद्यमान थे ।”।

**48.** आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 अक्तूबर, 2024 से,—

धारा 153 का संशोधन ।

(1) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहां उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी विवरणी

प्रस्तुत की गई थी, की समाप्ति से बारह मास की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय पर धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश किया जा सकेगा।”;

(II) उपधारा (3) में, “धारा 254” शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “धारा 250 या धारा 254” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(III) उपधारा (8) में,—

(i) “धारा 153ख” शब्द अंकों और अक्षर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, “धारा 153ख या धारा 158खड” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन प्रवर्तित हो गया है” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 153क की उपधारा (2) या धारा 158खक की उपधारा (4) के अधीन प्रवर्तित हो गया है” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(IV) स्पष्टीकरण 1 में पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि जहां खंड (xii) में निर्दिष्ट अवधि का अपवर्जन करने के पश्चात्, यथास्थिति, निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना का कोई आदेश करने के लिए परिसीमा की अवधि, समय-सीमा मास की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो जाती है, वहां ऐसी अवधि का ऐसे मास के अंत तक विस्तारण किया जाएगा।”।

अध्याय 14ख  
के स्थान पर  
नए अध्याय का  
प्रतिस्थापन।

49. आय-कर अधिनियम के अध्याय 14ख के स्थान पर, 1 सितंबर, 2024 से निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :-

#### ‘अध्याय 14ख

### तलाशी संबंधी मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया

परिभाषाएं।

158ख. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “ब्लॉक अवधि” से, उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्व वर्षों को समाविष्ट करने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी और इसके अंतर्गत, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें तलाशी आरंभ की गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली और ऐसी तलाशी या ऐसी अध्यपेक्षा के अंतिम प्राधिकारों के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि भी है ;

(ख) “अप्रकटित आय” के अंतर्गत कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या कोई व्यय अथवा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि पर आधारित कोई आय है, जहां

ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, चीज, लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में प्रविष्टि, जो पूर्णतः या भागतः ऐसी आय या संपत्ति के रूप में है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है या नहीं की गई होती या इस अधिनियम के अधीन दावाकृत कोई व्यय, कटौती या मोक, जो ब्लॉक अवधि के संबंध में गलत पाया जाता है ;

**स्पष्टीकरण**—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, अंतिम प्राधिकारों को,—

(क) तलाशी की दशा में, ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके मामले में प्राधिकार वारंट जारी किया गया है, के संबंध में तैयार किए गए अंतिम पंचनामे में यथा अभिलिखित तलाशी की समाप्ति पर, निष्पादित किया गया माना जाएगा ;

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर, निष्पादित किया गया माना जाएगा ।

158खक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात् या धारा 132क के अधीन लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति की अध्यपेक्षा की गई है, वहां निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार ब्लॉक अवधि की कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

तलाशी के परिणामस्वरूप कुल आय का निर्धारण ।

(2) ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, इस अधिनियम (इस अध्याय से भिन्न) के उपबंधों के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणना, यदि कोई हो, जो, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी प्रारंभ करने की तारीख को या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा किए जाने के समय लंबित है, का उपशमन हो जाएगा और तलाशी के प्रारंभ या अध्यपेक्षा करने की तारीख को उपशमन हुआ माना जाएगा ।

(3) इस अधिनियम (इस अध्याय से भिन्न) के उपबंधों के अधीन जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणना के लिए किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है या धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, वहां ऐसा निर्धारण या पुनः निर्धारण या पुनः संगणना का, यथास्थिति, किए गए ऐसे निर्देश या पारित आदेश के साथ भी उपशमन हो जाएगा और तलाशी या अध्यपेक्षा आरंभ करने की तारीख को उपशमन किया गया समझा जाएगा ।

(4) जहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी ऐसे निर्धारित की दशा में कोई निर्धारण लंबित है, जिसके मामले में पश्चातवर्ती कोई तलाशी आरंभ की जाती है या कोई अध्यपेक्षा की जाती है तो ऐसे निर्धारण को सम्यक् रूप से पूरा किया जाएगा और उसके पश्चात् ऐसी पश्चातवर्ती तलाशी या अध्यपेक्षा के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन निर्धारण किया जाएगा :

परंतु जहां पश्चातवर्ती तलाशी के संबंध में निर्धारण या अध्यपेक्षा निर्धारण

पूरा करने की अवधि तीन मास से कम है, वहां ऐसी अवधि को बढ़ाकर उस मास के, जिसमें पूर्व तलाशी के संबंध में निर्धारण को पूरा किया गया था, अंत से तीन मास तक किया जाएगा ।

(5) यदि इस अध्याय के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही या धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किया गया निर्धारण या पुनःनिर्धारण के आदेश को किसी अपील या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया गया है तो इस अध्याय या धारा 153 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जिसका उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उपशमन किया गया है, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से प्रवर्तित हो जाएगा :

परंतु ऐसा प्रवर्तन उस समय प्रभावहीन हो जाएगा यदि ऐसे रद्दकरण आदेश को अपास्त कर दिया जाता है ।

(6) ऐसे पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया है या कोई अध्यपेक्षा की गई है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय (अप्रकटित आय से भिन्न) का निर्धारण पृथक् रूप से इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) ब्लॉक अवधि से संबंधित कुल आय को पूर्ववर्ष या वर्षों, जिनसे ऐसी आय संबद्ध है, पर ध्यान न देते हुए ब्लॉक अवधि की आय के रूप में, धारा 113 में विनिर्दिष्ट दर पर कर से प्रभारित किया जाएगा ।

158खख. (1) ब्लॉक अवधि की धारा 158खख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय निम्नलिखित का कुल योग होगी, अर्थात् :--

(i) धारा 158खग के अधीन प्रस्तुत विवरणी में प्रकटित कुल आय ;

(ii) यथास्थिति, तलाशी आरंभ किए जाने की तारीख या अध्यपेक्षा की तारीख से पूर्व धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारित कुल आय ;

(iii) धारा 139 के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी में या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन किसी सूचना के प्रत्युत्तर में घोषित कुल आय, जो खंड (i) या खंड (ii) के अंतर्गत नहीं आती है ;

(iv) जहां पूर्व वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वहां तलाशी के अंतिम प्राधिकार या ऐसे पूर्व वर्ष से संबंधित अध्यपेक्षा की तारीख को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में बनाए रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर अवधारित कुल आय ;

(v) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय ।

(2) ब्लॉक अवधि के अंतर्गत आने वाली अप्रकटित आय, जो धारा 158खख

ब्लॉक अवधि  
की कुल आय  
की संगणना ।

की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल आय का भाग है, की संगणना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी या सर्वेक्षण या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप पाए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्रियों या सूचना, जो या तो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हैं या जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उसकी जानकारी में आई हैं, के आधार पर की जाएगी ।

(3) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी या अध्यपेक्षा के परिणामस्वरूप पाए गए कोई साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्रियों या सूचना, जो या तो निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध हैं या जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के दौरान उसकी जानकारी में आई हैं या तलाशी अथवा अध्यपेक्षा की तारीख को या उससे पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों में यथा अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर, अवधारित साक्ष्य किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार से संबंधित है या उस पूर्ववर्ष के, जिसमें अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया था, 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली और अंतिम प्राधिकार के निष्पादन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में धारा 92गक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित है, वहां ऐसे साक्ष्य को ब्लॉक अवधि की कुल आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा और ऐसी आय को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन किए गए निर्धारण में विचार में लिया जाएगा ।

(4) निम्नलिखित की अप्रकटित आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए,--

(क) किसी फर्म की दशा में, ब्लॉक अवधि के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पूर्व वर्ष के लिए निर्धारित आय, किसी ऐसे भागीदार को, जो कार्यशील भागीदार नहीं है, वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व अवधारित आय होगी ;

(ख) धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख और धारा 69ग के उपबंध, यथाशक्य, लागू होंगे और उन धाराओं में "वित्तीय वर्ष" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ब्लॉक अवधि के अंतर्गत आने वाले सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रतिनिर्देश हैं ;

(ग) धारा 92गक के उपबंध, यथाशक्य, लागू होंगे और उस धारा में "पूर्व वर्ष" के प्रतिनिर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ब्लॉक अवधि के अंतर्गत आने वाले सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रतिनिर्देश हैं और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि को उससे अपवर्जित किया जाएगा ।

(5) धारा 158खक की उपधारा (7) में निर्दिष्ट कर को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित उस कुल आय पर प्रभारित किया जाएगा, जिसमें से उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) में निर्दिष्ट कुल आय को घटा दिया गया हो ।

(6) उपधारा (1) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन अप्रकटित आय या जहां ब्लॉक अवधि को सम्मिलित कर के किसी पूर्ववर्ष के संबंध में आय प्रकट की गई है या उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड

(iii) के अधीन विवरणित आय या निर्धारित आय या जहां खंड (iv) के अधीन यथा अवधारित आय कोई हानि है, वहां उसकी अनदेखी की जाएगी ।

(7) इस अध्याय के अधीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, अध्याय 6 के अधीन पूर्ववर्ष (ब्लॉक अवधि में सम्मिलित प्रथम पूर्ववर्ष से पूर्व के) से अग्रणीत की गई हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अनामेलित अवक्षयण का इस अध्याय के अधीन ब्लॉक निर्धारण में अवधारित अप्रकटित आय के प्रति मुजरा नहीं किया जाएगा, किंतु उसे उस निर्धारण वर्ष, जिसमें ब्लॉक अवधि समाप्त होती है, से पश्चातवर्ती पूर्ववर्ष में, शेष अवधि हेतु, ब्लॉक अवधि तथा ऐसे निर्धारण वर्ष को हिसाब में लेते हुए तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा ।

ब्लॉक निर्धारण  
के लिए  
प्रक्रिया ।

158खग. (1) जहां, किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है, वहां,--

(क) निर्धारण अधिकारी 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ की गई तलाशी या अध्यपेक्षित लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि, जो साठ दिन की अवधि से अधिक नहीं होगी, जिसे सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित, जिसे विहित किया जाए, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें ब्लॉक अवधि के लिए, उसकी कुल आय, जिसके अंतर्गत अप्रकटित आय भी है, को उल्लिखित किया जाएगा :

परंतु ऐसी विवरणी पर इस प्रकार विचार किया जाएगा मानो यह धारा 139 के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत कोई विवरणी हो और उसके पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी की जाएगी :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आय की किसी विवरणी को, जिसे सूचना में अनुज्ञात अवधि से परे प्रस्तुत किया गया है, धारा 139 के अधीन फाइल की गई विवरणी नहीं माना जाएगा :

परंतु यह भी कि धारा 148 के अधीन कोई सूचना इस अध्याय के अधीन कार्यवाही के प्रयोजन के लिए जारी की जानी अपेक्षित है :

परंतु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस खंड के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है, पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं होगा ;

(ख) निर्धारण अधिकारी ब्लॉक अवधि की अप्रकटित आय सहित कुल आय को अवधारित करने के लिए धारा 158खख में अधिकथित रीति में कार्यवाही करेगा और धारा 142, धारा 143 की उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 144, धारा 145, धारा 145क और धारा 145ख के उपबंध यथाशक्य रूप से लागू होंगे ;

(ग) निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के अनुसार ब्लॉक अवधि की कुल आय के अवधारण पर, निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश पारित करेगा और ऐसे निर्धारण या पुनः निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर का अवधारण करेगा :

परंतु यह कि धारा 144ग के उपबंधों की कोई बात ऐसे आदेश के संबंध में लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां धारा 158खग के अनुसरण में निर्धारण या पुनः निर्धारण का कोई आदेश किया जाता है, वहां ऐसे निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए ब्लॉक अवधि वहीं होगी, जिसे ऐसे व्यक्ति के संबंध में अवधारित किया गया था, जिसके मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी की गई थी या धारा 132क के अधीन, जिसकी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई थी, और धारा 158खघ के अधीन, यथास्थिति, ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा के कारण कार्यवाहियां आरंभ की गई थी ;

(घ) धारा 132 के अधीन अभिगृहीत आस्तियों या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्तियों के संबंध में धारा 132ख के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(2) धारा 143 की उपधारा (1) के उपबंध इस धारा के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी को लागू नहीं होंगे ।

(3) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) खंड (क) के अधीन सूचना जारी करने के पूर्व, यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

158खघ. जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई अप्रकटित आय किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की है, जिसके संबंध में धारा 132 के अधीन तलाशी की गई थी या जिसकी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति की धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी वहां अभिगृहीत या अध्यपेक्षित ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या आस्तियां या व्यय अथवा लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या उनमें अंतर्विष्ट कोई जानकारी ऐसे निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी, जिसे ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता प्राप्त है और वह निर्धारण अधिकारी, धारा 158खग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय ।

158खड. (1) धारा 153 के उपबंधों के होते हुए भी, धारा 158खग के अधीन आदेश उस मास के, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया था या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा :

ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा ।

परंतु ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी और सुसंगत ब्लॉक अवधि की

कुल आय के निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान, धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां ब्लॉक अवधि के संबंध में निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध अवधि को बारह मास तक विस्तारित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने के लिए, उस अवधि (जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी), जो उस तारीख से आरंभ होगी, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होगी, जिसको, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन अभिग्रहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या धन या सोना-चांदी या आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को निर्धारण अधिकारी को, जिसको मामले में, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाती हैं, को अपवर्जित किया जाएगा :

परंतु जहां इस धारा में निर्दिष्ट अवधि को अपवर्जित करने के पश्चात्, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने की परिसीमा की अवधि किसी मास के अंत से पूर्व समाप्त हो जाती है, वहां ऐसी अवधि को ऐसे मास के अंत तक विस्तारित किया जाएगा ।

(3) धारा 158खघ में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में ब्लॉक अवधि के लिए निर्धारण या पुनः निर्धारण पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि, उस मास के अंत से बारह मास होगी, जिसमें धारा 158खघ के अनुसरण में धारा 158खघ के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी की गई थी :

परंतु उस दशा में, जहां धारा 158खघ में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में ब्लॉक अवधि की अप्रकटित आय के निर्धारण की कार्यवाहियों के अनुक्रम में, धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, वहां ब्लॉक अवधि के संबंध में निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध अवधि को बारह मास तक विस्तारित किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में निम्नलिखित अवधि को अपवर्जित किया जाएगा,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकी जाती है ; या

(ii) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है, जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है और दिन को समाप्त होती है, जिसको अनुरोध की गई जानकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अंतिम बार प्राप्त होती है या एक वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो ; या

(iii) संपूर्ण कार्यवाहियों या उनके किसी भाग को पुनः प्रारंभ करने में या

निर्धारिती को धारा 129 के परंतुक के अधीन पुनः सुनवाई का अवसर देने में व्यतीत समय ; या

(iv) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है, जिसको निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा या वस्तु-सूची का मूल्यांकन करने का निदेश देता है और,--

(क) जो उस दिन को समाप्त होती है जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी संपरीक्षा या वस्तु-सूची के मूल्यांकन की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, वहां उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि, जिसको ऐसे निदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है ; या

(v) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको निर्धारण अधिकारी, धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश करता है और जो उस दिन को समाप्त होती है, जिसको निर्धारिती को मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होती है ; या

(vi) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको निर्धारण अधिकारी, केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) के उपबंधों के उल्लंघन को धारा 143 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन सूचित करता है और जो उस दिन को समाप्त होती है, जिसको, यथास्थिति, उपरोक्त खंडों के अधीन अनुमोदन को वापस लेने या अधिसूचना को विखंडित करने वाला आदेश निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होता है ; या

(vii) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको निर्धारण अधिकारी, धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को निर्देश करता है और जो उस दिन को समाप्त होती है, जिसको, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन या धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होती है ; या

(viii) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको किसी ठहराव को अननुज्ञेय अपवचन ठहराव घोषित होने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होता है और उस दिन को समाप्त होती है, जिसको उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होता है ; या

(ix) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको प्राधिकारी के समक्ष अग्रिम विनिर्णय या धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम

विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन किया जाता है और उस दिन को समाप्त होती है, जिसको ऐसे आवेदन को धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन नामंजूर किए जाने संबंधी आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है ; या

(x) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको प्राधिकारी के समक्ष अग्रिम विनिर्णय या धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन किया जाता है और उस दिन को समाप्त होती है, जिसको उसके द्वारा धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि का अपवर्जन किए जाने के ठीक पश्चात्, धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कोई आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि का साठ दिन तक विस्तार किया जाएगा और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि तदनुसार विस्तारित की गई समझी जाएगी :

परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के विस्तारण के पश्चात्, यथास्थिति, निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए परिसीमा की अवधि किसी मास के अंत से पूर्व समाप्त होती है, वहां ऐसी अवधि को ऐसे मास के अंत तक विस्तारित किया जाएगा ।

158खच. ब्लाक अवधि के लिए निर्धारित या पुनः निर्धारित अप्रकटित आय के संबंध में, धारा 234क, धारा 234ख या धारा 234ग के अधीन कोई ब्याज या धारा 270क के अधीन निर्धारिती पर कोई शास्ति उद्ग्रहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

158खचक. (1) जहां धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षानुसार 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात्, धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत ब्लाक अवधि के लिए कुल आय की, जिसके अन्तर्गत अप्रकटित आय है, विवरणी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है या नहीं की जाती है, वहां निर्धारिती धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय के संबंध में कर पर डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने के ठीक अगले दिन को प्रारंभ होने वाली और धारा 158खक की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए संदाय करने का दायी होगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति ऐसी राशि का संदाय शास्ति के रूप में करेगा, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय की बाबत इस प्रकार उद्ग्रहणीय कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगी :

कतिपय ब्याज और शास्तियों को उद्ग्रहीत या अधिरोपित न किया जाना ।

कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण ।

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत ब्लॉक अवधि के संबंध में इस धारा या धारा 271ककघ की उपधारा (1) या धारा 271घ या धारा 271घक या 271ड के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि,—

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है ;

(ii) ऐसी विवरणी के आधार पर संदेय कर, संदत्त कर दिया गया है या यदि अभिगृहीत आस्तियों में धन सम्मिलित है, निर्धारिती इस प्रकार अभिगृहीत धन को संदेय कर के प्रति समायोजित किए जाने की प्रस्थापना करता है ;

(iii) संदत्त कर का साक्ष्य विवरणी के साथ दिया जाता है ; और

(iv) आय के उस भाग के, जो विवरणी में दर्शित है, निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की जाती है :

परन्तु यह और कि पहले परन्तुक के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित अप्रकटित आय विवरणी में दर्शित आय से अधिक है और ऐसे मामलों में अवधारित अप्रकटित आय के उस भाग पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी, जो विवरणी में दर्शित आय की रकम से अधिक है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा,—

(क) जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो ;

(ख) यथास्थिति, उपायुक्त या सहायक आयुक्त या उप निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा वहां, यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, जहां शास्ति की रकम दो लाख रुपए से अधिक है ;

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिसमें कार्यवाहियां, जिनके दौरान शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है, पूरी की जाती है या उस वित्तीय वर्ष के अन्त से, जिसमें, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, छह मास के पश्चात्, दोनों में से, जो अवधि बाद में समाप्त हो, निर्धारण धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) के लिए अपील की या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण के लिए अपील की विषय-वस्तु है ;

(घ) किसी ऐसे मामले में, जिसमें निर्धारण, उस मास के अन्त से, जिसमें पुनरीक्षण का ऐसा आदेश पारित किया जाता है, छह मास के समाप्त होने के पश्चात् धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है ;

(ड) खंड (ग) और खंड (घ) में उल्लिखित मामलों से भिन्न किसी मामले में उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात्, जिसमें कार्यवाहियां,

जिनके दौरान शास्ति अधिरोपित करने के लिए सूचना जारी की गई है, पूरी की जाती है, या उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास के पश्चात्, जिसमें शास्ति अधिरोपित करने की सूचना जारी की गई है, दोनों में से जो अवधि बाद में समाप्त हो ।

(4) इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में निम्नलिखित अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा,—

(i) निर्धारित को धारा 129 के परन्तुक के अधीन पुनः सुनवाई किए जाने का अवसर देने में लिए गए समय को ;

(ii) उस अवधि को, जिसके दौरान उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश से रोक दी जाती हैं:

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि का अपवर्जन किए जाने के ठीक पश्चात् उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिसीमा की उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि का साठ दिन तक विस्तार किया जाएगा और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि तदनुसार विस्तारित की गई समझी जाएगी :

परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, शास्ति का अधिरोपण के आदेश करने के लिए परिसीमा की अवधि मास की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो जाती है, वहां ऐसी अवधि का विस्तार ऐसे मास की समाप्ति तक किया जाएगा ।

(5) वह आय-कर प्राधिकारी, जो उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करता है, जब तक कि वह स्वयं निर्धारण अधिकारी न हो, ऐसे आदेश की एक प्रति तत्काल निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ।

158खछ. किसी ब्लॉक अवधि के निर्धारण का आदेश किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा, जो, यथास्थिति, उपायुक्त या सहायक आयुक्त या उप निदेशक या सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति की अध्यपेक्षा के संबंध में, यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

158खज. इस अध्याय में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध इस अध्याय के अधीन किए गए निर्धारण को लागू होंगे ।

158खझ. इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां 1 सितंबर, 2024 के पूर्व धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई थी या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई थी और यथास्थिति, ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा के संबंध में कार्यवाहियां इस अधिनियम के

ब्लॉक अवधि का निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना ।

अध्याय का कतिपय परिस्थितियों में लागू न होना ।

अन्य उपबंधों द्वारा शासित होंगी ।'।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

धारा 192 का संशोधन ।

(I) उपधारा (1ग) में "उपधारा (2) के खंड (vi)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (2) के उपखंड (vi)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(II) उपधारा (2क) में "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा;

(III) उपधारा (2ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

'(2ख) जहां ऐसा कोई निधारिती "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय प्राप्त करता है और साथ ही,--

(i) उसकी किसी अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय है (जो "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी ऐसे शीर्ष के अधीन हानि नहीं है) या

(ii) यथास्थिति, इस अध्याय के भाग ख या भाग खख के उपबंधों के अधीन कटौती किए गए या संग्रहीत किया गया कोई कर,

उसी वर्ष के लिए प्राप्त करता है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को,--

(क) ऐसी अन्य आय ;

(ख) यथास्थिति, इस अध्याय के भाग ख या भाग खख के किन्हीं अन्य उपबंध के अधीन कटौती किए गए या संग्रहीत किसी कर ; और

(ग) "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि, यदि कोई हो",

की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, सत्यापित करके भेज सकेगा और तब यथापूर्वोक्त उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विशिष्टियां हिसाब में लेगा :

परंतु इस उपधारा का किसी भी दशा में कटौती योग्य कर को कम करने का प्रभाव, वहां के सिवाय नहीं होगा, जहां "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि उस रकम से कम "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से हिसाब में ली गई है, जो इस प्रकार कटौती योग्य होती, यदि अन्य आय और भाग-ख के अन्य उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए कर तथा इस अध्याय के भाग-खख के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत अन्य आय हिसाब में न ली गई होती ।'।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में, 1 अक्टूबर, 2024 से, खंड (iv) के परंतुक में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 193 का संशोधन ।

"परंतु इस खंड की कोई बात, वित्तीय वर्ष के दौरान, 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बाण्ड, 2003 या 7.75 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बाण्ड, 2018 या

चलायमान दर बचत बाण्ड, 2020 (कराधेय) या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य प्रतिभूति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पर संदेय दस हजार रुपए से अधिक के ब्याज को लागू नहीं होगी ;”।

धारा 194 का संशोधन ।

**52.** आय-कर अधिनियम की धारा 194 में, “उपखंड (ड)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “या उपखंड (च)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर, 1 अक्टूबर, 2024 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 194ग का संशोधन ।

**53.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ग के स्पष्टीकरण के खंड (iv) में, 1 अक्टूबर, 2024 से, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :-

“किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,--

(अ) किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार, ऐसे ग्राहक या ऐसे ग्राहक के किसी सहबद्ध से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करते हुए किसी उत्पाद का विनिर्माण या आपूर्ति ; या

(आ) धारा 194ज की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि ।”।

धारा 194घक का संशोधन ।

**54.** आय-कर अधिनियम की धारा 194घक में, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दो प्रतिशत” शब्द 1 अक्टूबर, 2024 से रखे जाएंगे ।

धारा 194च का लोप ।

**55.** आय-कर अधिनियम की धारा 194च का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा ।

धारा 194छ का संशोधन ।

**56.** आय-कर अधिनियम की धारा 194छ में, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दो प्रतिशत” शब्द 1 अक्टूबर, 2024 से रखे जाएंगे ।

धारा 194ज का संशोधन ।

**57.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, 1 अक्टूबर, 2024 से, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दो प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194झक का संशोधन ।

**58.** आय-कर अधिनियम की धारा 194झक की उपधारा (2) में, 1 अक्टूबर, 2024 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में एक से अधिक अंतरक या अंतरिती हैं, तब प्रतिफल, ऐसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए सभी अंतरितियों द्वारा अंतरक या सभी अंतरकों को संदत्त या संदेय रकम का योग होगा ।”।

धारा 194झख का संशोधन ।

**59.** आय-कर अधिनियम की धारा 194झख की उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2024 से, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दो प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ड का संशोधन ।

**60.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ड की उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2024 से, “पांच प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दो प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 194ण का संशोधन ।

**61.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ण की उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2024 से, “एक प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “0.1 प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 194न का

**62.** अधिनियम की धारा 194ध के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2025 से

अंतःस्थापन ।

अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“194न. (1) कोई व्यक्ति, जो फर्म है और जो फर्म के भागीदारों के लिए वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज की प्रकृति की किसी राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी है, भागीदार के खाते में (जिसमें पूंजी खाता शामिल है) ऐसी राशि के जमा किए जाने के समय पर या उसके भुगतान के समय पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर पर आय-कर की कटौती करेगा ।

फर्मों के भागीदारों को भुगतान ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां फर्म के भागीदार को जमा या भुगतान की गई या जमा या भुगतान किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशि या ऐसी राशियों का सकल योग वित्तीय वर्ष के दौरान बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।”।

**63.** आय-कर अधिनियम की धारा 196ख में, “दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 196ख का संशोधन ।

“निम्नलिखित दर से आय-कर की कटौती करेगा,-

(क) धारा 115कख की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट यूनिटों से आय के संबंध में दस प्रतिशत ;

(ख) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, दस प्रतिशत ;

(ग) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत ।”।

**64.** आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में, “दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 23 जुलाई, 2024 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 196ग का संशोधन ।

“निम्नलिखित दर से आय-कर की कटौती करेगा-

(क) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के संबंध में ब्याज या लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में दस प्रतिशत ;

(ख) धारा 115कग में निर्दिष्ट ऐसे बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व होता है, दस प्रतिशत ;

(ग) धारा 115कग में निर्दिष्ट ऐसे बंधपत्र या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के संबंध में, जो 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् होता है, साढ़े बारह प्रतिशत ।”।

**65.** आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, 1 अक्टूबर, 2024 से,

धारा 197 का

“धारा 194ण और धारा 195” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 194ण, धारा 194थ और धारा 195” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 198 का संशोधन ।

**66.** आय-कर अधिनियम की धारा 198 में, “के अनुसार कटौती की गई सब राशियां” शब्दों के पश्चात्, “और कटौती के रूप में, भारत के बाहर संदत्त आय-कर, जिसकी बाबत किसी निर्धारिती को अधिनियम के अधीन संदेय कर के विरुद्ध कोई प्रत्यय अनुज्ञात है,” शब्द, 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 200 का संशोधन ।

**67.** आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि कोई संशोधन विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण परिदत्त किया जाना अपेक्षित है, छह वर्ष के अवसान के पश्चात् परिदत्त नहीं किया जाएगा ।”।

धारा 200क का संशोधन ।

**68.** आय-कर अधिनियम की धारा 200क में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

(क) पार्श्व शीर्ष में “स्रोत पर कर कटौती के विवरण” शब्दों के स्थान पर, “स्रोत पर कर कटौती के विवरण और अन्य विवरणों” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(3) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो कटौतीकर्ता नहीं है, किए गए विवरणों की प्रक्रिया के लिए बोर्ड, कोई स्कीम तैयार कर सकेगा ।”।

धारा 201 का संशोधन ।

**69.** आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 2025 से,--

(i) “भारत में निवासी किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या उसकी किसी भाग की कटौती करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय अंत से सात वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या उसकी किसी भाग की कटौती करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय अंत से छह वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “परंतुक के अधीन” शब्दों के स्थान पर, “पहले परंतुक के अधीन” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 206ग का संशोधन ।

**70.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,--

(क) उपधारा (1च) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 जनवरी, 2025 से, रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1च) प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है,--

(i) किसी मोटर यान ; या

(ii) किसी अन्य माल, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए,

के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, जिसका मूल्य दस लाख रूपए से अधिक है, तो ऐसी रकम की प्राप्ति के समय क्रेता से आय-कर के रूप में विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि संग्रहीत करेगा।”;

(ख) उपधारा (3ख) में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2025 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई संशोधन विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट विवरण परिदत्त किया जाना अपेक्षित है, छह वर्ष के अवसान के पश्चात् परिदत्त नहीं किया जाएगा।”;

(ग) उपधारा (4) में, “ऐसे व्यक्ति” शब्दों के पश्चात्, “या प्रत्यय के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति” शब्द 1 जनवरी, 2025 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) 1 अप्रैल, 2025 से,--

(i) उपधारा (7) में, “तो वह कर की ऐसी रकम पर उस तारीख से जिसको ऐसा कर संग्रहणीय था उस तारीख तक जिसको कर का वास्तव में संदाय किया गया था, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से और ऐसे ब्याज का संदाय” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) तो वह ऐसे कर की रकम पर, उस तारीख से, जिसको ऐसा कर संग्रहणीय था उस तारीख तक जिसको कर संग्रहित किया गया था, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज ; और

(ख) तो वह ऐसे कर की रकम पर, उस तारीख से, जिसको ऐसा कर संग्रहणीय था उस तारीख तक जिसको उस कर का वास्तविक संदाय किया गया था, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज,

और ऐसे ब्याज का संदाय किया जाएगा”;

(ii) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(7क) उपधारा (6क) के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जिससे उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कर संग्रहणीय था, के अंत से छह वर्षों या उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उपधारा (3ख) के अधीन संशोधन विवरण परिदत्त किया गया है, के अंत से दो वर्षों, जो भी पश्चातवर्ती है, के अवसान के पश्चात् किसी समय पर किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या कर के किसी भाग का संग्रहण करने की असफलता के लिए किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाए।”;

(ड) 1 अक्टूबर, 2024 से,--

(i) उपधारा (9) में, “उपधारा (1) या उपधारा (1ग)” शब्दों, कोष्ठकों,

अंकों और अक्षर के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां कहीं वे आते हैं, “उपधारा (1), उपधारा (1ग) या उपधारा (1ज)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(12) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से, जिसके अंतर्गत ऐसी संस्था, संगम या निकाय अथवा संस्थाओं, संगमों या निकायों का वर्ग भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित करे, विनिर्दिष्ट संव्यवहार के संबंध में कर का कोई संग्रहण नहीं किया जाएगा या कर का संग्रहण ऐसी निम्नतर दर पर किया जाएगा ।”।

धारा 230 का संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1क) के परंतुक की दीर्घ पंक्ति में, “व्यय-कर अधिनियम, 1987” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “व्यय-कर अधिनियम 1987 या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015” शब्द, कोष्ठक और अंक, 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

1987 का 35

2015 का 22

धारा 244क का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 244क की उपधारा (1क) के परंतुक में, “उस तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक कर रखा जाता है, जिसको ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है”, शब्दों के स्थान पर, “उस तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक कर रखा जाता है, जिसको ऐसा प्रतिदाय रोका जाता है” शब्द, 1 अक्टूबर, 2024 से रखे जाएंगे ।

धारा 245 का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 245 की उपधारा (2) में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

(क) “यह राय है कि प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) “उस तारीख तक”, शब्दों के स्थान पर, “उस तारीख से साठ दिनों तक” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 245थ का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु आवेदक, 31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पूर्व, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड से लिखित में अनुरोध कर सकेगा कि इस प्रकार अंतरित किए गए आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जाए, यदि अग्रिम विनिर्णय बोर्ड ने ऐसे अनुरोध की तारीख तक धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित नहीं किया है ।”।

धारा 245द का संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (2) में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, 1 अक्टूबर, 2024 से, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि अग्रिम विनिर्णय बोर्ड, धारा 245थ की उपधारा (4) के

परंतुक के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा, 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पूर्व वापस लिए गए के रूप में, उसकी उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।”।

**76.** आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में, खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 सितंबर, 2024 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 246क का संशोधन।

“(टक) 1 सितंबर, 2024 को या उसके पश्चात्, धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्धारण आदेश ;”।

**77.** आय-कर अधिनियम की धारा 251 की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 अक्टूबर, 2024 से, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 251 का संशोधन।

“परंतु जहां ऐसी अपील धारा 144 के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध है, तो वह निर्धारण को अपास्त कर सकेगा और कोई नया निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी को मामला वापस निर्दिष्ट कर सकेगा ;”।

**78.** आय-कर अधिनियम की धारा 253 में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

धारा 253 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में, “धारा 154”, शब्द और अंकों के पश्चात्, “धारा 158खचक” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, “उस तारीख के साठ दिन के भीतर”, शब्दों के स्थान पर, “मास के अंत से दो मास के भीतर” शब्द शब्द रखे जाएंगे।

**79.** आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक में, उपधारा (1) के स्थान पर, 1 अक्टूबर, 2024 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 271चकक का संशोधन।

“(1) यदि धारा 285खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे उस धारा के अधीन कोई विवरण देने की अपेक्षा की जाती है,--

(क) उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण में गलत जानकारी देता है या सही सूचना देने में असफल रहता है; या

(ख) उक्त धारा की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है,

तो उसकी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।”।

**80.** आय-कर अधिनियम की धारा 271छख के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 271छख का अंतःस्थापन।

“271छख. यदि कोई व्यक्ति, जिसे धारा 285 के अधीन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उस धारा के अधीन विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति,--

धारा 285 के अधीन विवरण प्रस्तुत करने में असफलता के

(क) ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें असफलता जारी रहती है, यदि असफलता की ऐसी अवधि तीन मास से अधिक नहीं है, एक हजार रुपए; या

(ख) किसी अन्य मामले में, एक लाख रुपए,

की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।”।

धारा 271ज का संशोधन ।

**81.** आय-कर अधिनियम की धारा 271ज की उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 2025 से “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “एक मास” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 273ख का संशोधन ।

**82.** आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में,—

(क) 1 अक्टूबर, 2024 से, “धारा 271चक” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “धारा 271चकक” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) 1 अप्रैल, 2025 से, “धारा 271छख” शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “धारा 271छम” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 275 का संशोधन ।

**83.** आय-कर अधिनियम की धारा 275 में, 1 अक्टूबर, 2024 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में, “प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या” शब्दों का, दोनों स्थानों से, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1क) में, “प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या” शब्दों का, दोनों स्थानों से, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

धारा 276ख का संशोधन ।

**84.** आय-कर अधिनियम की धारा 276ख में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस धारा के उपबंध, खंड (क) के प्रतिनिर्देश को लागू नहीं होंगे, यदि केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे संदाय के लिए विवरण फाइल करने के लिए विहित सीमा में या उसके पूर्व किसी भी समय किया गया है ।”।

धारा 276गगग का संशोधन ।

**85.** आय-कर अधिनियम की धारा 276गगग में, “धारा 158खग के खंड (क)” शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 158खग की उपधारा (1) के खंड (क)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 सितंबर, 2024 से रखे जाएंगे ।

धारा 285 का संशोधन ।

**86.** आय-कर अधिनियम की धारा 285 में, 1 अप्रैल, 2025 से “उस वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाए, एक विवरण”, शब्दों के स्थान पर, “ऐसी अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाए, एक विवरण”, शब्द रखे जाएंगे ।

प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

**87.** आय-कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के नियम 2 में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2025 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु कोई ऐसा व्यय, जो किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए धारा 37 के अधीन ग्राह्य नहीं है, जीवन बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों में पुनः सम्मिलित किया जाएगा ।”।

## अध्याय 4

## प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024

88. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 है ।

संक्षिप्त नाम  
और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

89. (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

‘(क) “अपीलार्थी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में या तो उसके द्वारा या आय-कर प्राधिकारी द्वारा या दोनों के द्वारा, अपील मंच के समक्ष कोई अपील या कोई रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है और ऐसी अपील या याचिका विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपने आक्षेप फाइल किए हैं और विवाद समाधान पैनल ने विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व कोई निदेश जारी नहीं किया है ; या

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में विवाद समाधान पैनल ने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने उस धारा की उपधारा (13) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है ; या

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया है और ऐसा आवेदन विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है ;

(ख) “अपील मंच” से यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) अभिप्रेत हैं ;

(ग) “घोषणाकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 91 के अधीन घोषणा फाइल करता है ;

(घ) “घोषणा” से धारा 91 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है ;

(ङ) “अभिहित प्राधिकारी” से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचित आय-कर आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का और कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) “विवादित फीस” से आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित ऐसी फीस अभिप्रेत है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है ;

(छ) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में “विवादित आय” से संपूर्ण आय या कुल

आय का उतना भाग अभिप्रेत है, जो विवादित कर से संबंधित है ;

(ज) “विवादित ब्याज” से आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी दशा में अवधारित ब्याज अभिप्रेत है, जहां,—

(i) ऐसा ब्याज, विवादित कर पर प्रभारित या प्रभार्य नहीं है ;

(ii) ऐसे ब्याज के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है ;

(झ) “विवादित शास्ति” से आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी मामले में अवधारित शास्ति अभिप्रेत है, जहां,—

(i) ऐसी शास्ति, यथास्थिति, विवादित आय या विवादित कर के संबंध में उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ii) ऐसी शास्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है ;

(ञ) यथास्थिति, किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में “विवादित कर” से ऐसा आय-कर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदेय अधिभार और उपकर (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् कर की रकम कहा गया है) भी है, जिसे नीचे संगणित किया गया है,—

(अ) उस मामले में, जहां कोई अपील, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका विनिर्दिष्ट तारीख को अपील मंच के समक्ष लंबित है, वहां कर की ऐसी रकम, जो अपीलार्थी द्वारा तब संदेय है, यदि ऐसी अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका का विनिश्चय उसके विरुद्ध किया जाना था ;

(आ) उस मामले में, जहां अपीलार्थी द्वारा फाइल किया गया आक्षेप आय-कर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित हैं, वहां अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम, यदि विवाद समाधान पैनल को प्रारूप आदेश में प्रस्तावित फेरफार की पुष्टि करनी थी ;

(इ) उस मामले में, जहां विवाद समाधान पैनल ने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उस धारा की उपधारा (13) के अधीन आदेश पारित नहीं किया है, वहां उस धारा की उपधारा (13) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले निर्धारण आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम ;

(ई) उस मामले में, जहां आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है, वहां अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम, यदि पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना था :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में

विवाद, आय-कर अधिनियम की धारा 115अकक या धारा 115अघ के अधीन कर प्रत्यय की कटौती या तदधीन संगणित किसी हानि या अवक्षयण से संबंधित है, वहां अपीलार्थी के पास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे कर प्रत्यय या हानि या अवक्षयण को विवादित कर की रकम में सम्मिलित करने का या ऐसे घटाए गए कर प्रत्यय या हानि या अवक्षयण को अग्रणीत करने का विकल्प होगा ;

1961 का 43

(ट) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है ;

(ठ) "अंतिम तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाए ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से 22 जुलाई, 2024 अभिप्रेत है ;

(ण) "कर बकाया" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की कुल रकम ; या

(ii) विवादित ब्याज ; या

(iii) विवादित शास्ति ; या

(iv) विवादित फीस ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं ।

90. इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई घोषणाकर्ता, इस स्कीम के उपबंधों के अधीन अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व अभिहित प्राधिकारी के पास धारा 91 के उपबंधों के अनुसार कर बकाया के संबंध में कोई घोषणा फाइल करता है, वहां आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता द्वारा इस स्कीम के अधीन संदेय रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-

घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम ।

क्र०सं०	कर बकाया की प्रकृति	31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले इस स्कीम के अधीन संदेय रकम	1 जनवरी, 2025 को या उसके पश्चात्, किंतु अंतिम तारीख को या उससे पहले इस स्कीम के अधीन संदेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	उस मामले में, जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 के पश्चात्, किंतु विनिर्दिष्ट तारीख	विवादित कर की रकम ।	विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का दस प्रतिशत ।

को या उसके पूर्व अपीलार्थी है, वहां कर बकाया, विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की कुल रकम है ।

- (ख) उस मामले में, जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 को या उसके पूर्व उसी अपील मंच में ऐसे कर बकाया के संबंध में अपीलार्थी है, वहां कर बकाया, विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे प्रभारित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की कुल रकम है ।
- विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का दस प्रतिशत ।
- विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का बीस प्रतिशत ।
- (ग) उस मामले में, जहां घोषणाकर्ता 31 जनवरी, 2020 के पश्चात्, किंतु विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व अपीलार्थी है, वहां कर बकाया का संबंध विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस से
- विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस का तीस प्रतिशत ।
- विवादित ब्याज या विवादित फीस का पच्चीस प्रतिशत ।

है ।

- (घ) उस मामले में, विवादित ब्याज या विवादित ब्याज या विवादित जहां घोषणाकर्ता विवादित शास्ति या शास्ति या विवादित फीस का 31 जनवरी, 2020 विवादित फीस का तीस पैंतीस प्रतिशत : को या उसके पूर्व प्रतिशत । उसी अपील मंच में ऐसे कर बकाया के संबंध में अपीलार्थी है, वहां कर बकाया का संबंध विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस से है ।

परंतु उस मामले में, जहां आय-कर प्राधिकारी द्वारा किसी मुद्दे पर अपील मंच के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की जाती है वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी :

परंतु यह और कि उस मामले में, जहां अपील, आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की जाती है या अपीलार्थी द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पर विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल किया जाता है, जिस पर उसने आय-कर अपील अधिकरण से अपने पक्ष में विनिश्चय पहले ही प्राप्त कर लिया है, (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) या उच्च न्यायालय (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय का उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी :

परंतु यह भी कि उस मामले में, जहां अपील किसी ऐसे मुद्दे पर, अपीलार्थी द्वारा आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाती है, जिस पर उसने उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में विनिश्चय पहले ही प्राप्त कर लिया है (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी ।

91. (1) घोषणाकर्ता द्वारा धारा 90 में निर्दिष्ट घोषणा, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

घोषणा फाइल करना और विशिष्टियों का दिया जाना ।

(2) घोषणा फाइल किए जाने पर, विवादित आय या विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस और कर बकाया के संबंध में आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित कोई अपील, उस तारीख से, जिसको धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र

जारी किया गया है, वापस ले ली गई समझी जाएगी ।

(3) जहां घोषणाकर्ता ने कर बकाया के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध अपील मंच के समक्ष कोई अपील या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की है, वहां वह न्यायालय की अनुमति से, धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसी अपील या रिट याचिका को वापस ले लेगा और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को संदाय की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, घोषणाकर्ता, ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे अन्यथा उपलब्ध होता, उपचार या किसी दावे की ईप्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार को त्याग देगा और वचनबंध, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में दिया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) यह उपधारणा की जाएगी कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा कभी नहीं की गई है, यदि,—

(क) घोषणा में दी गई कोई तात्त्विक विशिष्टि किसी प्रक्रम पर गलत पाई जाती है ;

(ख) घोषणाकर्ता इस स्कीम में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का अतिक्रमण करता है ;

(ग) घोषणाकर्ता ऐसी रीति में कार्य करता है, जो उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा दिए गए वचनबंध के अनुसार नहीं है,

और ऐसे मामलों में, आय-कर अधिनियम के अधीन उन सभी कार्यवाहियों और दावों को, जिन्हें धारा 91 के अधीन वापस ले लिया गया था, तथा घोषणाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामों को, पुनः प्रवर्तित किया गया समझा जाएगा ।

(6) कोई भी अपील मंच या माध्यस्थ, सुलहकार या मध्यक घोषणा में उल्लिखित किसी कर बकाया से संबंधित और जिसके संबंध में धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है या उस धारा के अधीन अवधारित राशि के संदाय के संबंध में किसी विवादक को विनिश्चित करने की कार्यवाही नहीं करेगा ।

संदाय का समय  
और रीति ।

**92.** (1) अभिहित प्राधिकारी, घोषणा की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को अवधारित करेगा और घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र, कर बकाया की विशिष्टियों को और उसमें ऐसे अवधारण के पश्चात्, संदेय राशि को उसमें उपवर्णित करते हुए अनुदत्त करेगा ।

(2) घोषणाकर्ता, अभिहित प्राधिकारी को, प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करेगा और उसे ऐसे संदाय के ब्यौरे, विहित प्ररूप में सूचित करेगा तथा तत्पश्चात् अभिहित प्राधिकारी एक आदेश यह कथन करते हुए पारित करेगा कि घोषणाकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया

है ।

(3) इस स्कीम के अधीन संदेय रकम को अवधारित करते हुए, उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, उसमें कथित विषयों के संबंध में निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में पुनः नहीं खोला जाएगा ।

(4) इस स्कीम के अधीन घोषणा करना, कर स्थिति को स्वीकार करने की कोटि में नहीं आएगा और यह ऐसे आय-कर प्राधिकारी या घोषणाकर्ता, जो प्रतिवाद करने के लिए अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका में पक्षकार है, के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा कि, यथास्थिति, घोषणाकर्ता या आय-कर प्राधिकारी ने विवाद को निपटाकर विवादित मुद्दे पर हुए विनिश्चय में अपनी मौन स्वीकृति दे दी है ।

**93.** अभिहित प्राधिकारी, धारा 92 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर बकाया के संबंध में, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा ; या कोई शास्ति अधिरोपित या उद्गृहीत नहीं करेगा ; या कोई ब्याज प्रभारित नहीं करेगा ।

कतिपय मामलों में अपराध संबंधी कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति ।

**94.** (1) धारा 91 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी रकम का किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

संदत्त रकम का कोई प्रतिदाय न होना ।

(2) जहां घोषणाकर्ता ने धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा फाइल करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी ऐसी रकम का संदाय किया था, जिसके संबंध में कर बकाया धारा 90 के अधीन संदेय रकम से अधिक है, वहां वह ऐसी अधिक रकम के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा, किंतु वह आय-कर अधिनियम की धारा 244क के अधीन ऐसी अधिक रकम पर ब्याज के लिए हकदार नहीं होगा ।

**95.** धारा 92 की उपधारा (3) या धारा 93 में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस स्कीम की किसी बात का अर्थ घोषणाकर्ता के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।

घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति न देना ।

**96.** इस स्कीम के उपबंध,—

कतिपय मामलों में स्कीम का लागू न होना ।

(क) किसी कर बकाया के संबंध में,—

(i) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में जिसकी बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण आय-कर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन आरंभ की गई तलाशी के आधार पर कर दिया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसकी बाबत घोषणा फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कोई अभियोजन संस्थित कर दिया गया है, लागू नहीं होंगे ;

(iii) भारत से बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित किसी आय या

भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति से किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(iv) आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार, यदि वह किसी कर बकाया से संबंधित है, के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(ख) घोषणा फाइल करने की तारीख को या उसके पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन निरोध आदेश किया गया है, लागू नहीं होंगे :

1974 का 52

परंतु,-

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहत नहीं किया गया है ; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, को उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहत नहीं किया गया है ; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, को उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के लिए, अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहत नहीं किया गया है ; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है ;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन, घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व संस्थित कर दिया गया है या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे किसी दंडनीय अपराध के लिए, इन अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

1967 का 37

1985 का 61

1988 का 45

1988 का 49

2003 का 15

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके संबंध में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए या घोषणा फाइल करने पर या

2023 का 45

उसके पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, आय-कर प्राधिकारी द्वारा अभियोजन आरंभ कर दिया गया है या ऐसा व्यक्ति, आय-कर प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

1992 का 27

(ड) घोषणा फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

**97.** (1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर प्राधिकारियों को, समय-समय पर ऐसे निदेश या आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

बोर्ड की निदेश, आदि जारी करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई निदेश या आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जो किसी अभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति में निपटान करने की अपेक्षा करे ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बोर्ड, यदि इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो समय-समय पर, मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस अधिनियम से संबंधित किसी कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निदेश या अनुदेश उपवर्णित करते हुए, इस अध्याय के उपबंधों को शिथिल करके या अन्यथा, साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और ऐसे आदेश जारी करेगा, यदि बोर्ड का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ।

**98.** (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

**99.** (1) केंद्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) विवादित कर के अवधारण, जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक या धारा 115जघ के अधीन कर प्रत्यय को आगे ले जाने या अग्रणीत किए जाने के संबंध में मुजरा या आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन हानि या अवक्षयण की मोक को आगे ले जाने या अग्रणीत किए जाने के संबंध में मुजरा की रीति भी है;

(ख) धारा 90 के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक के अधीन सारणी में रकम के आधे की संगणना करने की रीति ;

(ग) धारा 91 के अधीन वह प्ररूप जिसमें घोषणा की जा सकेगी तथा इसके सत्यापन की रीति ;

(घ) धारा 92 की उपधारा (4) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें घोषणाकर्ता वचनबंध देगा ;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें प्रमाणपत्र दिया जाएगा ;

(च) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें संदाय की सूचना दी जाएगी;

(छ) इस स्कीम के अधीन संदेय रकम की गणना करने की रीति;

(ज) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना या जो विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

## अध्याय 5

### अप्रत्यक्ष कर

#### सीमाशुल्क

100. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 28 घक में,--

1962 का 52

(क) उपधारा (2) और उपधारा (10) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर, "सबूत" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) अध्याय 5कक के स्पष्टीकरण में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(क) "उद्भव का सबूत" से ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणा अभिप्रेत है, जो यथास्थिति, यह प्रमाणित करते हुए या घोषणा करते हुए व्यापार करार के अनुसार जारी किया गया है कि माल उक्त करार में विनिर्दिष्ट

उद्भव देश मानदंड और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है ;’;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ग) “निर्गमन प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी व्यापार करार के अधीन उद्भव का सबूत जारी करने के प्रयोजनों के लिए अभिहित किया गया है ;’।

101. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 65 का संशोधन ।

“परंतु केंद्रीय सरकार का, यदि यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किन्हीं ऐसे माल के किसी वर्ग से संबंधित विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं और अन्य संक्रियाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें किसी भांडागार में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।”।

102. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 143कक में, “आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग” शब्दों के स्थान पर, “आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के किसी वर्ग” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 143कक का संशोधन ।

103. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (ड) में “आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग” शब्दों के स्थान पर, “आयातकर्ताओं या निर्यातकर्ताओं या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के किसी वर्ग” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 157 का संशोधन ।

1975 का 51

104. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (12) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 12 जुलाई, 2024, 1 जुलाई, 2017 से ही प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव, सभी प्रयोजनों के लिए, प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (12) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव ।

2021 का 13

105. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वित्त अधिनियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ), तारीख 10 मई, 2023, सभी प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और सदैव ही प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और 1 अप्रैल, 2023 से तथा 30 जून, 2023 को समाप्त होने वाली (दोनों दिवस सम्मिलित हैं) अवधि के दौरान प्रवृत्त बनी रहेगी ।

वित्त अधिनियम की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी संशोधन ।

2021 का 13

(2) वित्त अधिनियम की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना

आवश्यक है, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ), तारीख 10 मई, 2023 को, दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी और उस अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट संशोधित की जाने वाली अधिसूचना संख्या के सामने, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही और उस तक, भूतलक्षी रूप से संशोधित हुई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और शक्ति होना समझा जाएगा, मानो केंद्रीय सरकार को सभी तात्विक समयों पर वित्त अधिनियम की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का संशोधन करने की शक्ति थी।

2021 का 13

(4) संपूर्ण शुल्क और उपकर का प्रतिदाय किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु जिसका संग्रहण इस प्रकार नहीं किया गया होता यदि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में और उस सीमा तक उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना प्रवर्तन में होती :

परंतु ऐसे शुल्क और उपकर के प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति इस निमित्त, 31 मार्च, 2025 को या उसके पूर्व, यथास्थिति, अधिकारिता वाले सहायक आयुक्त सीमाशुल्क या उप आयुक्त सीमाशुल्क को आवेदन करता है।

#### सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 6 का लोप।

**106.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है), की धारा 6 का लोप किया जाएगा।

1975 का 51

पहली अनुसूची का संशोधन।

**107.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,—

(क) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) 1 अक्टूबर, 2024 से, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा।

#### केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

**108.** (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 के अधिक्रमण के होते हुए भी, पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) में, विनिर्दिष्ट रीति में और उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिसूचना के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्संबंधी विनिर्दिष्ट तारीख से ही, संशोधित की जाती है और भूतलक्षी रूप से संशोधित की हुई मानी जाएगी।

1944 का 1

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को, उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुई मानी जाएगी मानो, सभी तात्विक समयों पर, केंद्रीय सरकार को केंद्रीय

उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुई होती ।

1944 का 1

**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषणा की जाती है कि किसी व्यक्ति का या उसकी ओर से किया गया कोई कृत्य या लोप किसी अपराध के रूप में उसी प्रकार दंडनीय होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती ।

1944 का 1

**109.** (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 794(अ), तारीख 30 जून, 2017 को छठवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी और उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट संशोधित की जाने वाली अधिसूचना संख्या के सामने उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित की हुई समझी जाएगी ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित उपबंधों के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से ही प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की कोई कार्रवाई, की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की हुई समझी जाएगी और सदैव इस प्रकार की हुई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त हुआ हो ।

2016 का 28  
2010 का 14

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित वित्त अधिनियम, 2010 के अध्याय 7 के निरसन के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का संशोधन करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी प्रभाव से ऐसा संशोधन करने की ऐसी शक्ति का होना माना जाएगा, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क के अधीन सभी तात्विक समयों पर उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हुई होती ।

**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषणा की जाती है कि किसी व्यक्ति का या उसकी ओर से किया गया कोई कृत्य या लोप किसी अपराध के रूप में उसी प्रकार दंडनीय होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती ।

### केंद्रीय माल और सेवा कर

2017 का 12

**110.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) में, “मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर” शब्दों के पश्चात्, “और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी ऐल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहाली लिकर के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

**111.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर

धारा 10 का संशोधन ।

अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

**112.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 11क का  
अंतःस्थापन ।

साधारण पद्धति  
के  
परिणामस्वरूप  
उदग्रहीत नहीं  
किए गए या  
कम उदग्रहीत  
किए गए माल  
और सेवा कर  
की वसूली न  
करने की  
शक्ति ।

“11क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर केंद्रीय कर के उदग्रहण (उसके गैर उदग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है ; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं—

(i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, केंद्रीय कर उदग्रहीत नहीं किया गया था या उदग्रहीत नहीं किया जा रहा है, केंद्रीय कर ; या

(ii) केंद्रीय कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उदग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है,

तो केंद्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण केंद्रीय कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय केंद्रीय कर के आधिक्य में केंद्रीय कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन पूर्तियों के संबंध में संदेय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर केंद्रीय कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उदग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उदग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उदग्रहीत किया जा रहा था या कम उदग्रहीत किया जा रहा है ।”।

धारा 13 का  
संशोधन ।

**113.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ख) में, “पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए” शब्दों के स्थान पर, “उन मामलों में, जहां बीजक पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख .:”;

(iii) पहले परंतुक में, “या खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “या खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 16 का  
संशोधन ।

**114.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में,

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहत किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,--

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है ; या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है ।”।

115. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, “धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के अनुसार” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 74” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

116. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 21 का संशोधन ।

117. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 30 का संशोधन ।

“परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं ।”।

118. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 में,—

धारा 31 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के खंड (च) में, “कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो” शब्दों के पश्चात्, “ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**‘स्पष्टीकरण-खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, “पूर्तिकार, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है” पद के अंतर्गत ऐसा पूर्तिकार भी होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है ।’**

धारा 35 का संशोधन ।

**119.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 39 का संशोधन ।

**120.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(3) धारा 51 के अधीन, स्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं ।”।

धारा 49 का संशोधन ।

**121.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 50 का संशोधन ।

**122.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

धारा 51 का संशोधन ।

**123.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 54 का संशोधन ।

**124.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (3) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की पूर्ति की शून्य रेटेड के मददे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड पूर्ति के मददे संदत एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य रेटेड पूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन है ।”।

धारा 61 का संशोधन ।

**125.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 62 का संशोधन ।

**126.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर

अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

127. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 63 में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 63 का संशोधन ।

128. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 64 का संशोधन ।

129. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 65 का संशोधन ।

130. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, “धारा 73 या धारा 74”, शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या धारा 74क”, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 66 का संशोधन ।

131. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 70 का संशोधन ।

“(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा ।”।

132. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 73 में,--

धारा 73 का संशोधन ।

(i) पार्श्वशीर्ष में, “असंदत कर” शब्दों के पूर्व “वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे ।”।

133. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 74 में,--

धारा 74 का संशोधन ।

(i) पार्श्वशीर्ष में, “असंदत कर” शब्दों के पूर्व “वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे ।”;

(iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा ।

धारा 74क का  
अंतःस्थापन ।

वित्तीय वर्ष  
2024-25 से  
संबंधित असंदत  
या कम संदत  
या त्रुटिवश  
प्रतिदाय किए  
गए कर से  
संबंधित किसी  
कारण से गलत  
तरीके से लिए  
गए या उपयोग  
किए गए इनपुट  
कर प्रत्यय का  
अवधारण ।

134. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“74क. (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, सूचना की तामील करेगा :

परंतु कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रुपए से कम है, जिसे संदत नहीं किया गया है या कम संदत किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है ।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत नहीं किया गया है या कम संदत किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत या कम संदत किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी ।

(5) उस मामले में, जहां कर संदत नहीं किया गया है या कम संदत किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,--

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रुपए, जो भी उच्चतर हो, होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी ।

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा :

परंतु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत केंद्रीय कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति वाला समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(8) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,--

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सहित कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा ;

(ii) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

(9) जहां कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,--

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-

अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा ;

(ii) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ;

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व- निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है ।

(12) वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित कर के अवधारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे ।

**स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां” पद के अंतर्गत धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी ।

**स्पष्टीकरण 2**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “छिपाना” पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में

समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे ।

135. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 75 में,—

धारा 75 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, “या 74क उपधारा (2) और उपधारा (7)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन होगा ।”;

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है ।”;

(घ) उपधारा (11) में, “धारा 74 की उपधारा (10) में” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात् “या धारा 74क की उपधारा (7) में” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (12) में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (13) में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

136. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1) में, “या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, “या 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 104 का संशोधन ।

137. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 में,—

धारा 107 का संशोधन ।

(क) उपधारा (6) के खंड (ख) में, “पच्चीस” शब्द के स्थान पर, “बीस” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (11) के दूसरे परंतुक में, “धारा 73 या धारा 74” शब्दों और

अंकों के पश्चात् “या धारा 74क” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 109 का संशोधन ।

**138.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 में,—

(क) उपधारा (1) में, “अपीलों की सुनवाई के लिए” शब्दों के पश्चात् “या धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे मामलों के परीक्षण करने के लिए या न्यायनिर्णयन के लिए, यदि उक्त धारा के अधीन ऐसा अधिसूचित किया जाता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों का परीक्षण या न्यायनिर्णयन केवल प्रधान न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अन्य मामलों या मामलों के वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो केवल प्रधान खंडपीठ द्वारा सुने जाएंगे ।”;

(ग) उपधारा (6) में, “अध्यक्ष” शब्द के स्थान पर, “उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 112 का संशोधन ।

**139.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 112 में,—

(क) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (1) में, “उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किए जाने की तारीख से” शब्दों के पश्चात् “या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (3) में, “उस तारीख से, जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है” शब्दों के पश्चात् “वह तारीख, जिसको आदेश पारित किया गया है ; या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, “अपील ग्रहण कर सकेगा” शब्दों के पश्चात्, “या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में,—

(i) “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “पचास करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “बीस करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 122 का संशोधन ।

**140.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) में, 1 अक्टूबर, 2023 से “कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक” शब्दों के स्थान पर, “कोई

इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

141. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 127 में, "धारा 73 या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात् "या धारा 74क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 127 का संशोधन ।

142. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 128क का अंतःस्थापन ।

"128क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,--

कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा 73 के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन ।

(क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी कथन और जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी :

परंतु जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा :

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील

अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है ।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुईं समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी ।”।

धारा 140 का संशोधन ।

**143.** 1 जुलाई, 2017 से, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (7) में, “यदि ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं” शब्दों के स्थान पर, “चाहे ऐसी सेवाओं से संबंधित बीजक नियत तारीख से पूर्व, को या उसके पश्चात् प्राप्त हुए हैं” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 171 का संशोधन ।

**144.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 में,—

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है ।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ‘परीक्षा के लिए अनुरोध’ से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन

अभिप्रेत है।”;

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**‘स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “प्राधिकारी” पद के अंतर्गत “अपील अधिकरण” सम्मिलित होगा।’।

**145.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अध्यक्षित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनःबीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यक्षित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन पुनःबीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है।”।

**146.** उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं गया होता संग्रहण किया गया है, यदि धारा 114 सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

अनुसूची 3 का संशोधन।

संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना।

### एकीकृत माल और सेवा कर

2017 का 13

**147.** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) में, “मानव उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर” शब्दों के पश्चात्, “और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहली लिकर के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन।

**148.** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 6क का अंतःस्थापन।

“6क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए माल और सेवा कर

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर एकीकृत कर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है ; और

की वसूली नहीं  
करने की  
शक्ति ।

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं—

(i) एकीकृत कर, उन मामलों में जहां उक्त पद्धति के अनुसार एकीकृत कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है, या

(ii) एकीकृत कर की ऐसी रकम से उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, जो उक्त पद्धति के अनुसार उच्चतर रकम है,

सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण एकीकृत कर या ऐसी पूर्तियों पर इस प्रकार संदेय रकम के आधिक्य में एकीकृत कर, किंतु उक्त चलन के लिए, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर एकीकृत कर उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है ।”।

धारा 16 का  
संशोधन ।

**149.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (4) के,—

(i) खंड (i) में, “कर सकेंगे और” शब्दों के पश्चात्, “केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2017 का 12

(ii) खंड (ii) में, “का, जो एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात की जा सकेंगी, और ऐसा माल या सेवाओं का पूर्तिकर्ता इस प्रकार संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।” शब्दों के स्थान पर, “या दोनों, जिसकी शून्य रेटेड पूर्ति पर पूर्तिकर्ता, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एकीकृत कर का संदाय कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

2017 का 12

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की शून्य रेटेड पूर्ति के कारण अनुपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड पूर्ति के कारण संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां ऐसे माल की शून्य रेटेड पूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन हैं ।”।

धारा 20 का  
संशोधन ।

**150.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के पांचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि चालीस करोड़ रुपए की अधिकतम रकम अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाने वाली प्रत्येक अपील के लिए संदेय होगी ।”।

**संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर**

2017 का 14

**151.** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, “मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान” शब्दों के पश्चात्, “और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

**152.** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 8क का अंतःस्थापन।

“8क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति।

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है ; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या हैं—

(i) संघ राज्यक्षेत्र कर के लिए, उन मामलों में जहां उक्त पद्धति के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है ; या

(ii) संघ राज्यक्षेत्र कर की ऐसी रकम से उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, जो उक्त पद्धति के अनुसार उच्चतर रकम है, सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर या ऐसी पूर्तियों पर इस प्रकार संदेय रकम के आधिक्य में संघ राज्यक्षेत्र कर, यदि उक्त पद्धति न होती, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर संघ राज्यक्षेत्र कर उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है।”।

**माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)**

2017 का 15

**153.** माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

नई धारा 8क का अंतःस्थापन।

“8क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए उपकर की वसूली न करने की शक्ति।

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर उपकर के उद्ग्रहण (उसके गैर-उद्ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है ; और

(ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं—

(i) उपकर, उन मामलों में जहां उक्त पद्धति के अनुसार उपकर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या नहीं किया जा रहा है ; या

(ii) उपकर की ऐसी रकम से उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, जो उक्त पद्धति के अनुसार उच्चतर रकम है,

सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संपूर्ण उपकर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय रकम के आधिक्य में उपकर, यदि उक्त पद्धति न होती, उन पूर्तियों के संबंध में संदत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर उपकर उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है ।”।

## अध्याय 6

### प्रकीर्ण

#### भाग 1

### बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

1988 का  
अधिनियम  
संख्यांक 45 का  
संशोधन ।

154. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 में, 1 अक्टूबर, 2024

से,--

(क) धारा 24 में,--

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(2क) बेनामीदार, जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है, या हिताधिकारी स्वामी जिसे उपधारा (2) के अधीन जारी ऐसी सूचना की प्रति जारी की गई है, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो अधिकारी द्वारा विस्तारित की जाए, अवधि के भीतर स्पष्टीकरण या निवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा, उस मास के अंत से तीन मास से अनधिक, जिसमें उक्त सूचना जारी की गई है ।”;

(ii) उपधारा (3) में, “नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “चार मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, “नब्बे दिन” शब्दों के स्थान पर, “चार मास” शब्द रखे जाएंगे ।

(iv) उपधारा (5) में, “ऐसी कुर्की की तारीख से पंद्रह दिन” शब्दों के स्थान पर, उस मास के अंत से, जिसमें उक्त आदेश पारित किया गया है, की समाप्ति से “एक मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 55 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी,

अर्थात् :-

“55क. (1) प्रारंभक अधिकारी, हितधारी स्वामी से भिन्न धारा 53 में यथानिर्दिष्ट बेनामीदार या किसी अन्य व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से धारा 55 में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, बेनामी संव्यवहार से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने की शर्त पर उक्त धारा के अधीन किसी अपराध के लिए बेनामीदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को अभियोजन से उन्मुक्ति दे सकेगा ।

अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति ।

(2) बेनामीदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति, जिसे उसने स्वीकार किया है, उसे उस सीमा तक, जिस विस्तार तक उन्मुक्ति प्रदान की गई है, किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन से, जिसकी बाबत उन्मुक्ति प्रदान की गई है और धारा 53 के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्त रखेगी ।

(3) यदि प्रारंभक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई है, ने ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, जिन के अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, तो प्रारंभक अधिकारी इस प्रभाव के निष्कर्ष को अभिलिखित कर सकेगा और धारा 55 में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से उन्मुक्ति को वापस ले सकेगा ।

(4) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसे प्रदान की गई उन्मुक्ति को उपधारा (3) के अनुसार वापस लिया गया है, उस अपराध की बाबत विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अपराध हेतु, जिसके लिए उसका उसी संव्यवहार के संबंध में दोषी होना प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा और वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी शास्ति के लिए भी दायी होगा, जिसके लिए वह अन्यथा दायी होता ।”।

## भाग 2

### वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

155. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में, धारा 98 की सारणी में, क्रमांक संख्या 4 के स्तंभ (3) में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

2004 के अधिनियम संख्यांक 23 का संशोधन ।

(i) प्रतिभूतियों में विकल्प का विक्रय से संबंधित प्रविष्टि (क) के सामने, “0.0625 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.1 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ; और

(ii) प्रतिभूतियों में वायदा सौदे के विक्रय से संबंधित प्रविष्टि (ग) के सामने, “0.0125 प्रतिशत” अंकों और शब्द के स्थान पर, “0.02 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

## भाग 3

**काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण  
अधिनियम, 2015 का संशोधन**

2015 के  
अधिनियम सं.  
22 का  
संशोधन ।

**156.** काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 में, 1 अक्टूबर, 2024 से,--

(क) धारा 42 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह धारा (स्थावर संपत्ति से भिन्न) ऐसी आस्ति या आस्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है।”;

(ख) धारा 43 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह धारा, ऐसी आस्ति या आस्तियों (स्थावर संपत्ति से भिन्न) के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां ऐसी आस्ति या आस्तियों का सकल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है।”।

## भाग 4

**वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन**

2016 के  
अधिनियम सं.  
28 का  
संशोधन ।

**157.** वित्त अधिनियम, 2016 में,--

(क) धारा 163 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 अगस्त, 2024 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

“(3) यह निम्नलिखित के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल को लागू होगा,--

(क) इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, उपलब्ध कराई गई विनिर्दिष्ट सेवाओं ; और

(ख) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अगस्त 2024 के पूर्व ई-वाणिज्य आपूर्ति या उसके द्वारा दी गई या उपलब्ध कराई गई या सुकर बनाई गई सेवाओं के लिए।”;

(ख) धारा 165क में, उपधारा (3) के पश्चात्, 1 अगस्त, 2024 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अगस्त, 2024 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

“(4) इस धारा के उपबंध, किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा 1 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् की गई ई-वाणिज्य आपूर्ति या उसके द्वारा दी गई या उपलब्ध कराई गई या सुकर बनाई गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल को लागू नहीं होंगे।”।

**अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन घोषणा**

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 107 के उपखंड (क) के उपबंधों का अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 2023 के अधीन तुरंत प्रभाव होगा ।

---

## पहली अनुसूची

### (धारा 2 देखिए)

#### भाग 1

#### आय-कर

#### पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

#### आय-कर की दरें

- |   |   |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है                                 | कुछ नहीं ;  |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है  | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;                    |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;    |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है                                     | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

#### आय-कर की दरें

- |   |   |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है                                 | कुछ नहीं ;  |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है  | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;                    |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;    |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है                                     | 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

**आय-कर की दरें**

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक कुछ नहीं ;  
नहीं है
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक      उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल  
है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है      आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती  
है ;
- (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक      1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30  
है ।      प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000  
रुपए से अधिक हो जाती है ।

**आय-कर पर अधिभार**

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

#### आय-कर की दरें

- |  |  |
|--|--|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है                              | कुल आय का 10 प्रतिशत ;   |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है | 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है                                   | 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा

112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

#### आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

#### आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा

112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

### पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

#### आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

- (i) जहां पूर्ववर्ष 2021-2022 में इसका कुल आवर्त या कुल कुल आय का 25 प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो प्रतिशत ;
- (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

- (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— 50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

- (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह

प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

## भाग 2

### कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर,—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित	

किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vii) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) विनिधान से किसी आय पर 20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ड में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,—

(i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 10 प्रतिशत ;

(ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; 12.5 प्रतिशत ;

(खक) धारा 112 की उपधारा (1) का खंड (ग) का उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर, जो 23 जुलाई, 2024 के पूर्व किया गया है ; 10 प्रतिशत ;

(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट एक लाख पच्चीस हजार से अनधिक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,—

(I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 10 प्रतिशत ;

(II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; 12.5 प्रतिशत ;

(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,—

(I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 20 प्रतिशत ;

(II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; 12.5 प्रतिशत ;

(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,— 15 प्रतिशत ;

(I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 15 प्रतिशत ;

- (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया 20 प्रतिशत ;  
है ;
- (ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी 20 प्रतिशत ;  
करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या  
किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर  
(जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप  
में आय नहीं है)
- (ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ 20 प्रतिशत ;  
किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय  
समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा  
स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा  
115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी  
विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा  
भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की  
धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट  
किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं  
अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के  
प्रतिफल के रूप में है ।
- (ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ 20 प्रतिशत ;  
किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार  
किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय  
सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की  
तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से  
संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या  
भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद  
(ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर
- (ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ 20 प्रतिशत ;  
किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार  
किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय  
सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की  
तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से  
संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या  
भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस  
के रूप में आय पर
- (ओ) लाटरी, वर्ग पहले, ताश के खेल और किसी प्रकार 30 प्रतिशत ;  
के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में  
आय पर
- (औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

- (अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर 30 प्रतिशत ;
- (अः) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (र) उपमद (ख)(i)(अः) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—
- (अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 20 प्रतिशत ;
- (इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर 20 प्रतिशत ;
- (ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (उ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य 30 प्रतिशत ;

खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर

(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,-	15 प्रतिशत ;
(I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ;	15 प्रतिशत ;
(II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ;	20 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर जो 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ;	10 प्रतिशत ;
(ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक किसी अंतरण पर आय, जो-	10 प्रतिशत ;
(I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ;	10 प्रतिशत ;
(II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ;	12.5 प्रतिशत ;
(औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] जो--	20 प्रतिशत ;
(I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ;	20 प्रतिशत ;
(II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ;	12.5 प्रतिशत ;
(अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(अः) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(र) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,—

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—

(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(v) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

(iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय 30 प्रतिशत ;

(iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;

(v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 20 प्रतिशत ;

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो मद (ख)(v) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 20 प्रतिशत ;

(vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय

सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—

- (अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;
- (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 20 प्रतिशत ;
- (viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो--
- (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 15 प्रतिशत ;
- (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; 20 प्रतिशत ;
- (ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 10 प्रतिशत ;
- (x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक किसी अंतरण पर आय जो--
- (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 10 प्रतिशत ;
- (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; 12.5 प्रतिशत ;
- (xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] जो--
- (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; 20 प्रतिशत ;
- (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; 12.5 प्रतिशत ;
- (xii) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट, लाभांश के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (xiii) मद (ख)(xii) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (xiv) किसी अन्य आय पर 35 प्रतिशत ।

---

**स्पष्टीकरण**—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

### आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्ति-निकाय की दशा के सिवाय, या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में कटौती किए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) किसी व्यक्तियों के संगम, जो अनिवासी है, और उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

### भाग 3

**कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और “अग्रिम कर” की संगणना के लिए दरें**

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकग या धारा 115खकघ या धारा 115खकड या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखड या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखज या धारा 115ड या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :-

#### पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

#### आय-कर की दरें

- |   |   |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है                                 | कुछ नहीं ;  |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है  | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;                    |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;    |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है                                     | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है-

#### आय-कर की दरें

- |   |            |
|---|------------|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
|---|------------|

- (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

#### आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है कुछ नहीं ;
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस

प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन, कोई आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

#### आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक कुल आय का 10 प्रतिशत ;  
नहीं है

- (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

#### आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

#### आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### पैरा ड

कंपनी की दशा में,—

#### आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2022-2023 में उसका कुल आवर्त या सकल कुल आय का 25  
प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है प्रतिशत ;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न कुल आय का 30  
प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत ; अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 35 प्रतिशत ।

#### आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

#### भाग 4

#### [धारा 2(13)(ग) देखिए]

#### शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

**नियम 1**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध,

जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

**नियम 2**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

**नियम 3**—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

**नियम 4**—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

**नियम 5**—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम

से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

**नियम 6**—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

**नियम 7**—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्ध निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

**नियम 8**—(1) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2016 या 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस

प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1 अप्रैल, 2017 या 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1 अप्रैल, 2017 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2018 या 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2019 या 1 अप्रैल, 2020 या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2020

या 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2021 या 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2022 या 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2023 या 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

1 अप्रैल, 2025 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का 8) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

**नियम 9**—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

**नियम 10**—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

**नियम 11**—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

**दूसरी अनुसूची**  
(धारा 105 देखिए)

संशोधन की जाने वाली अधिसूचना की संख्या	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. संख्यांक 356(अ), तारीख 10 मई, 2023 [37/2023-सीमा शुल्क, तारीख 10 मई, 2023]	<p>उक्त अधिसूचना के उपाबंध में, शर्तों के स्थान पर निम्नलिखित शर्तें रखी जाएंगी, अर्थात् :-</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>शर्तें</b></p> <hr/> <p>“(क) आयातकर्ता, यथास्थिति, उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आबंटित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक वैध टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) प्राधिकार प्रस्तुत करता है ;</p> <p>(ख) पूर्वोक्त वैध टैरिफ दर कोटा प्राधिकार के अधीन शुल्क और उपकर फायदा केवल उपयोग नहीं किए गए कोटा की सीमा तक निर्बंधित होगा, जो अधिसूचना संख्या 30/2022- सीमाशुल्क, तारीख 24 मई, 2022 के अधीन या इस अधिसूचना के अधीन 11 मई, 2023 से 30 जून, 2023 तक (दोनों दिवस सम्मिलित) ऐसे फायदे का दावा करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है ;</p> <p>(ग) संबंधित आयात परेषण के लिए लदान-पत्र 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किया जाता है ;</p> <p>(घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा आयातकर्ता को टैरिफ दर कोटा प्रक्रिया हैंडबुक 2015-20 या 2023, जैसा लागू हो, में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार आबंटित किया जाता है ; और</p> <p>(ङ) टैरिफ दर कोटा प्राधिकार में आयातकर्ता का नाम और पता, आईईसी कोड, सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या, यथा लागू उपशीर्ष या टैरिफ मद, मात्रा और प्रमाणपत्र की वैधता अवधि अंतर्विष्ट होगी ।”।</p>	1 अप्रैल, 2023 से 10 मई, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित)

## तीसरी अनुसूची

[धारा 107(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(i) अध्याय 39 में, शीर्ष 3920 और शीर्ष 3921 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) अध्याय 66 में, टैरिफ मद संख्या 6601 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी उच्चतर हो", प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) अध्याय 98 में, टैरिफ मद संख्या 9802 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "150%", प्रविष्टि रखी जाएगी ।

**चौथी अनुसूची**  
**[धारा 107(ख) देखिए]**

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 19 के शीर्ष 1905 में,--

(i) उपशीर्ष 1905 32, टैरिफ मद 1905 32 11 और टैरिफ मद 1905 32 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“1905 32 -- वैफल्स और वैफर्स :  
1905 32 11 --- चॉकलेट लेपित या चॉकलेट सहित कि.ग्रा. 30% -”;

(ii) उपशीर्ष 1905 90, टैरिफ मद 1905 90 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“--- कम्प्युनियन वैफर्स :  
1905 90 51 ---- चॉकलेट लेपित या चॉकलेट सहित कि.ग्रा. 30% -  
1905 90 59 ---- अन्य कि.ग्रा. 30% -”;

(2) अध्याय 20 में, टैरिफ मद 2008 19 20 और 2008 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “150%”, प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 27 में,--

(i) अनुपूरक टिप्पण में, उप-टिप्पण (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(ठ) टैरिफ मद 2710 19 33 के प्रयोजनों के लिए, “सम्मिश्र विमान टरबाईन ईंधन” से कोई ऐसा विमान टरबाईन ईंधन अभिप्रेत है, जिसमें पेट्रोलियम तेलों या बिटुमिनस खनिजों, जिसमें भार के आधार पर 70% या उससे अधिक संश्लेषिकृत हाइड्रोकार्बन के सम्मिश्र है, से अभिप्राप्त तेल है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आई एस 17081 : 2019 के अनुरूप हो।’;

(ii) टैरिफ मद 2710 19 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“2710 19 33 ---- सम्मिश्र विमान टरबाईन ईंधन कि.ग्रा. 5% -”;

(4) अध्याय 29 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘अनुपूरक टिप्पण :

टैरिफ मद 2906 11 10 के प्रयोजनों के लिए, “प्राकृतिक मेन्थाल” से ऐसा कार्बनिक यौगिक (C<sub>10</sub>H<sub>20</sub>O) अभिप्रेत है, जो मेंथा अर्वेन्सिस के नाम से ज्ञात मिंट या मेन्थाल मिंट के जापानी प्रकार के तेल के आसवन से प्राप्त किया गया है, किंतु इसमें रासायनिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए मेन्थाल सम्मिलित नहीं हैं।’;

(ii) टैरिफ मद 2906 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“2906 11	--	मेन्थाल :			
2906 11 10	--	प्राकृतिक मेन्थाल	कि.ग्रा.	7.5%	-
2906 11 90	--	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(iii) टैरिफ मद 2922 29 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) टैरिफ मद 2924 29 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“2924 29 80	--	पैरासीटामोल	कि.ग्रा.	7.5%	-”;
-------------	----	-------------	----------	------	-----

(5) अध्याय 38 में,--

(i) टैरिफ मद 3818 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात् :-

“--- अनडिफ्यूज्ड सिलीकन वैफर्स”;

(ii) टैरिफ मद 3818 00 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“3818 00 20	--	सबस्ट्रेट पर सिलीकॉन कार्बाइड एपीटक्सीयल की पतली परत	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-
3818 00 30	--	सबस्ट्रेट पर गैलीयम नाइट्राइड एपीटक्सीयल की पतली परत	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-”;

(6) अध्याय 39 में,--

(i) टैरिफ मद 3920 10 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“3920 10 93	---	प्रक्षेपास्त्र संरक्षण के लिए कवच	कि.ग्रा.	25%	-”;
-------------	-----	-----------------------------------	----------	-----	-----

(ii) टैरिफ मद 3921 90 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“3921 90 27	---	स्थापत्य कला	कि.ग्रा.	25%	-”;
-------------	-----	--------------	----------	-----	-----

(7) अध्याय 57 में,--

(i) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘अनुपूरक टिप्पण :

टैरिफ मद 5703 29 22, 5703 39 31, 5703 39 32, 5703 39 33 और 5703 39 39 के प्रयोजनों के लिए, “विशेष परिसज्जा” पद से अग्निरोधक, अग्नि मंदन, रसायन रोधक, प्रति-स्थैतिक, धूलरोधी, दाग-धब्बेरोधी, सूक्ष्म जीवाणुरोधी, गंधरोधी, स्थिर यू.वी., तापरोधी, इत्यादि जैसे गुणधर्मों में से एक या अधिक गुणधर्मों वाले उत्पाद बनाने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।’;

(ii) शीर्ष 5703 में,--

(क) टैरिफ मद 5703 29 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात् :-

“--- 100% पालीएमाइड मूर्धित मखमल, कर्तित रोंआ या लूप रोंआ कालीन दरी :

5703 29 21	---	जूट, रबड़, लेटेक्स या पीछे पी.यू. फोम सहित	व.मी.	20% या -	
				70 रु.	
				प्रति वर्ग	
				मीटर,	

				जो भी उच्चतर हो
5703 29 22	---	विशेष परिसज्जा के साथ, इथायलीन विनायल एसीटेट और विनायल एसीटेट इथायलीन क्षीरपरत और/या निष्कासित पोली विनायल क्लोराइड या थर्मोप्लास्टिक पोलियोलेफिन	व.मी.	20% या - 70 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो
5703 29 29	---	अन्य	व.मी.	20% या -"; 70 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो

(ख) टैरिफ मद 5703 39 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

		“--- विशेष परिसज्जा के साथ, इथायलीन विनायल एसीटेट और विनायल एसीटेट इथायलीन क्षीरपरत और/या निष्कासित पोली विनायल क्लोराइड या थर्मोप्लास्टिक पोलियोलेफिन मूर्धित मखमल, कर्तित रॉआ या लूप रॉआ कालीन दरी :		
5703 39 31	---	100% पोलीप्रोपाइलीन का	व.मी.	20% या - 55 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो
5703 39 32	---	100% पॉलीस्टर का	व.मी.	20% या - 55 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो
5703 39 33	---	100% पॉलीइथाइलीन का	व.मी.	20% या - 55 रु. प्रति वर्ग मीटर,

			जो भी उच्चतर हो
5703 39 39	---	अन्य	व.मी. 20% या -"; 55 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो

(8) अध्याय 63 में, टैरिफ मद 6307 90 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6307 90 92 --- प्रक्षेपास्त्र संरक्षण के लिए कवच इ. 10% -”;

(9) अध्याय 65 में, टैरिफ मद 6506 10 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6506 10 20 --- प्रक्षेपास्त्र संरक्षण के लिए टोपी इ. 10% -”;

(10) अध्याय 69 में, टैरिफ मद 6914 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6914 90 - अन्य :

6914 90 10 --- प्रक्षेपास्त्र संरक्षण के लिए कवच कि.ग्रा. 10% -

6914 90 90 --- अन्य कि.ग्रा. 10% -”;

(11) अध्याय 73 में, टैरिफ मद 7308 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“7308 10 - पुल और पुल-परिच्छेद :

7308 10 10 --- सुवाह्य पुल इ. 15% -

7308 10 90 --- अन्य इ. 15% -”;

(12) अध्याय 76 में, टैरिफ मद 7610 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- संरचनाओं के भाग, जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं हैं :

7610 90 21 --- सुवाह्य पुल कि.ग्रा. 10% -

7610 90 29 --- अन्य कि.ग्रा. 10% -”;

(13) अध्याय 84 में,--

(i) टैरिफ मद 8412 29 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“8412 29 20 --- अध्याय 89 के मालों में उपयोग के लिए हाइड्रोलिक प्रणाली इ. 7.5% -”;

(ii) टैरिफ मद 8430 69 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8430 69 -- अन्य :

8430 69 10 --- खान उत्खनन मशीनरी इ. 7.5% -

8430 69 90 --- अन्य इ. 7.5% -”;

(iii) उपशीर्ष 8443 99 में,--

(क) टैरिफ मद 8443 99 51 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “---- प्रिंट हेड

एसंबली के साथ, काट्रेज या टोनर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 8443 99 52 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, “---- प्रिंट हेड एसंबली के बिना, काट्रेज या टोनर” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8479 89 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“8479 89 80 --- अध्याय 88 या अध्याय 89 के मालों में उपयोग के लिए इ. 7.5% -”;  
मशीनरी

(14) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8537 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,

अर्थात् :-

“8537 10 - 1,000 वाट से अनधिक वोल्टेज के लिए :

8537 10 10 --- अध्याय 88, अध्याय 89 या अध्याय 93 के मालों में उपयोग कि.ग्रा. 15% -  
के लिए

8537 10 90 --- अन्य कि.ग्रा. 15% -”;

(15) अध्याय 87 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘अनुपूरक टिप्पण :

टैरिफ मद 8711 60 80 के प्रयोजनों के लिए, “ई-बाईसाइकिल या बैटरी-प्रचालित पैडल द्वारा सहायताप्राप्त यान” से 0.25 किलोवाट से कम तीस मिनट की शक्ति वाले किसी सहायक इलैक्ट्रिक मोटर के साथ सुसज्जित और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से अनधिक अधिकतम गति वाले और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप यान अभिप्रेत है ।”;

(ii) टैरिफ मद 8705 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8705 90 - अन्य :

8705 90 10 --- सेतुबंधन प्रणाली के साथ फिट लारी (ट्रक) इ. 10% -

8705 90 90 --- अन्य इ. 10% -”;

(iii) टैरिफ मद 8711 60 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

“8711 60 80 --- ई-रिक्शा या बैटरी-प्रचालित पैडल द्वारा सहायताप्राप्त यान इ. 100% -”;

(16) अध्याय 88 में, टैरिफ मद 8807 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8807 30 - हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या मानवरहित वायुयान के अन्य पुर्जे :

8807 30 10 --- हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के कि.ग्रा. 2.5% -

8807 30 20 --- मानवरहित वायुयान के कि.ग्रा. 2.5% -”;

(17) अध्याय 89 में, टैरिफ मद 8906 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8906 90 - अन्य :

8906 90 10 --- पेट्रोल या निगरानी नौका, एयर-कुशन्ड यान, रिमोट प्रचालित इ. 10% -  
यान

8906 90 90 --- अन्य इ. 10% -";  
 (18) अध्याय 93 में, टैरिफ मद 9305 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,  
 अर्थात् :-

“9305 99	--	अन्य :			
9305 99 10	--	शीर्ष 9304 के मालों के	कि.ग्रा.	10%	-
9305 99 90	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”।

---

पांचवीं अनुसूची  
(धारा 108 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 [12/2012- केंद्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012]	उक्त अधिसूचना के उपाबंध के "शर्त" शीर्षक के अधीन शर्त सं. 43 के खंड (ख) में, --  (i) "एक सौ छब्बीस मास की कालावधि" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ बासठ मास की कालावधि" शब्द रखे जाएंगे ; और  (ii) "एक सौ बीस मास की कालावधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ छप्पन मास की कालावधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।	29 जून, 2017

**छठवीं अनुसूची**  
**[धारा 109 देखिए]**

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सा.का.नि. 794(अ), तारीख 30 जून, 2017 [12/2017-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017]	<p>उक्त अधिसूचना की,--</p> <p>(i) प्रस्तावना में,--</p> <p>(क) “केंद्रीय सरकार” शब्दों के पश्चात्, “वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;</p> <p>(ख) “केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से” शब्दों के स्थान पर, “केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उन उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय स्वच्छ पर्यावरण उपकर से” शब्द रखे जाएंगे ;</p> <p>(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--</p> <p>“(ग) ऐसे माल पर, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन यथा उद्ग्रहणीय समुचित माल और सेवा कर प्रतिकर उपकर, जहां कहीं लागू हो, संदेय होगा, यदि उसकी निकासी 1 जुलाई, 2017 को या उसके पश्चात् हुई है।”।</p>	30 जून, 2017

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली,  
22 जुलाई, 2024

निर्मला सीतारामन

---

### भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन, के लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 22 जुलाई, 2024 के पत्र सं० फा० 2(6)-बी०(डी०)/2024 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करती हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 23 जुलाई, 2024 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।